

लोक सभा में 8 जुलाई, 2004
को पुरःस्थापित रूप में

2004 का विधेयक संख्यांक 22

[दि फाइनेंस (नंबर 2) बिल, 2004 का हिंदी अनुवाद]

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 है ।
- 5 (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 60 तक 1 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

अध्याय 2 आय-कर की दरें

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर ।
10 आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, संघ के प्रयोजनों के लिए उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है
15 वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय की बाबत केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

20 (i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय की बाबत आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय की बाबत आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

25 (iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत आय-कर होगी :

परंतु अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटाकर इस प्रकार प्राप्त आय-कर की रकम में उस पैरा में उपबंधित रीति से प्रत्येक दशा में संघ के प्रयोजनों के लिए परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत आय-कर होगी ।

30 (3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण उस अध्याय या उस धारा में उपबंधित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परंतु धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए, पहली अनुसूची के भाग 1 के
35 यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय की बाबत, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115ख और धारा 115जख के अधीन से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यक्ति निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से;

(ग) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से,

5

अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ग या धारा 115द की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, कटौती पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ, धारा 194ड, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194टक, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौती उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें —

15

(क) प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यक्ति निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से ;

(ग) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

20

अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

25

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें —

(क) प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यक्ति निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां ऐसी संगृहीत राशि या संगृहीत कुल राशि और, ऐसे संग्रहण के अधीन रहते हुए, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

30

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से ;

(ग) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17 के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और उक्त अधिनियम के अध्याय 8 के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर आए ऐसे कर में प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

35

40

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, “अग्रिम कर” की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित “अग्रिम कर” की रकम में पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ड में उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

45

परंतु यह और भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख या धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115ड और धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत, पहले परंतुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” में,—

50

(क) प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यक्ति निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे अग्रिम कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे अग्रिम कर के ढाई प्रतिशत की दर से ;

(ग) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे अग्रिम कर के दस प्रतिशत की दर से,

55

अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय की बाबत प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना करने में,—

- (क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय की बाबत केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और
- 10 (ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—
- (i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय की बाबत आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;
- (ii) शुद्ध कृषि-आय में पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय की बाबत आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;
- 15 (iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” होगी :
- परंतु उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर या “अग्रिम कर” में से रिबेट घटाकर, इस प्रकार प्राप्त आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम में, प्रत्येक दशा में उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
- (11) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और संघ के प्रयोजनों के लिए उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम, में ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित शिक्षा उपकर नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा जिससे कि विश्वस्तरीय आधारभूत शिक्षा का प्रबंध और वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।
- 25 (12) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—
- (क) “देशी कंपनी” से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसने 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय की बाबत ऐसे विहित इंतजाम कर लिए हैं कि ऐसी आय में से संदेय लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश हैं) घोषणा और उनका संदाय भारत में किया जाए ;
- 30 (ख) “बीमा कमीशन” से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;
- (ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, “शुद्ध कृषि-आय” से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;
- 35 (घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं, जो उस अधिनियम में हैं ।

5

10

15

20

25

30

35

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

40

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (24) में, उपखंड (xii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित धारा 2 का संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(xiii) 1 सितम्बर, 2004 को या उसके पश्चात्, किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा किसी व्यक्ति से —

(अ) नकद या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से या जमा के रूप में ;

45

(आ) माल या सेवाओं के प्रतिफल के रूप से अन्यथा,

प्राप्त कोई राशि, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(I) ऐसी राशि, जो,—

(i) नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किसी नातेदार से किसी व्यक्ति को ; या

(ii) किसी वसीयत के अधीन या विरासत के रूप में किसी व्यक्ति या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब को ; या

50

(iii) किसी कर्मचारी या मृत कर्मचारी के किसी आश्रित को नियोजक से बोनस, उपदान, पेंशन या बीमा या कोई ऐसी अन्य राशि जो एकमात्र रूप से कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं की मान्यता के रूप में,

प्राप्त होती है या उसके खाते में जमा की जाती है ; या

(II) किसी व्यक्ति या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता या सदस्य की मृत्यु को आसन्न मानकर प्राप्त कोई राशि ; या

(III) धारा 10 में निर्दिष्ट कोई आय या ऐसी अन्य आय, जो इस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त है या कुल आय में सम्मिलित नहीं है ; या

(IV) धारा 47 में निर्दिष्ट अंतरण न समझे गए संव्यवहार मद्दे प्राप्त कोई राशि ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए “नातेदार” से अभिप्रेत है,—

- (i) व्यक्ति का पति/की पत्नी ; 5
- (ii) व्यक्ति का भाई या बहन ;
- (iii) व्यक्ति के पति/की पत्नी का भाई या बहन ;
- (iv) व्यक्ति के माता पिता में से किसी का भाई या बहन ;
- (v) व्यक्ति का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज ;
- (vi) व्यक्ति के पति/की पत्नी का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज ; 10
- (vii) खंड (ii) से खंड (vi) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का पति/की पत्नी ।’।

धारा 7 का संशोधन।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 7 के खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) पूर्ववर्ष में केंद्रीय सरकार द्वारा, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय ।’।

धारा 10 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,— 15

(क) खंड (4) के उपखंड (ii) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि इस उपखंड की कोई बात 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात् ऐसे व्यक्ति को संदत्त या उसके अनिवासी (विदेशी) खाते में ब्याज के रूप में जमा की गई किसी आय को लागू नहीं होगी ;”;

(ख) खंड (6खख) में, “31 मार्च, 1997 के पश्चात् कितु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व किए गए और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “31 मार्च, 1997 के पश्चात् कितु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व किए गए या 31 अगस्त, 2004 के पश्चात् किए गए और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार” अंक और शब्द 1 सितंबर, 2004 से रखे जाएंगे; 20

(ग) खंड (15) में 1 अप्रैल, 2005 से,—

(अ) उपखंड (iiiख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iiiग) यूरोपीय विनिधान बैंक को, 25 नवंबर, 1993 को केंद्रीय सरकार द्वारा उस बैंक के साथ किए गए वित्तीय सहयोग के लिए आधारभूत करार के अनुसरण में उसके द्वारा दिए गए उधार पर संदेय ब्याज ;”;

(आ) उपखंड (iv) में, मद (चक) में, “किसी अनुसूचित बैंक द्वारा,” शब्दों के पश्चात्, “1 सितंबर, 2004 के पूर्व” अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) खंड (15क) में, स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु इस खंड की कोई बात 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात् किए गए किसी ऐसे करार को लागू नहीं होगी”;

(ङ) खंड (18) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(19) संघ के सशस्त्र बल के (जिसके अंतर्गत अर्द्ध सैनिक बल भी हैं), यथास्थिति, किसी सदस्य की विधवा या उसके बालकों या नामनिर्दिष्ट वारिसों द्वारा प्राप्त कुटुंब पेंशन, जहां ऐसे सदस्य की मृत्यु सक्रियात्मक कर्तव्य के दौरान ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी दशाओं के अध्यक्षीन, जो विहित की जाएं, हुई है ;”;

(च) खंड (23चख) में, 1 अक्टूबर, 2004 से,—

(i) स्पष्टीकरण 1 में खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) “जोखिम पूंजी उपक्रम” से ऐसा कोई जोखिम पूंजी उपक्रम अभिप्रेत है जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 में निर्दिष्ट किया गया है और इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा राजपत्र में उस रूप में अधिसूचित किया गया है ;”;

(ii) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा ;

(छ) खंड (23छ) में, स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी की धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभान्शों से भिन्न लाभान्शों, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी आय को, बही लाभ और धारा 115जख के अधीन संदेय आय-कर की संगणना करने में गिना जाएगा”;

(ज) खंड (36) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(37) किसी निर्धारिती की दशा में, जो कोई व्यक्ति या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कृषि भूमि के अंतरण से उद्भूत “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय, जहां—

(i) ऐसी भूमि धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) या मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में अवस्थित है ;

(ii) ऐसी भूमि, अंतरण की तारीख के ठीक पूर्व दो वर्षों की अवधि के दौरान ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति या उसके किसी माता-पिता द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही थी ;

(iii) ऐसा अंतरण, किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन या किसी अंतरण के रूप में है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिफल का अवधारण या अनुमोदन किया गया है ;

5 (iv) ऐसी आय प्रतिकर या ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल से उद्भूत हुई है, जो निर्धारिता द्वारा 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “प्रतिकर या प्रतिफल” पद में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया गया या और बढ़ाया गया प्रतिकर या प्रतिफल सम्मिलित है ।

10 (38) किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो प्रतिभूति है और ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय का संव्यवहार उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7 प्रवृत्त होता है, भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किया जाता है, उद्भूत आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “प्रतिभूति” का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

15 (ख) मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में है ; ;

(39) धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xiii) में निर्दिष्ट कोई आय, उस सीमा तक, जिस तक पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त की गई या जमा की गई ऐसी आय का योग,—

(क) पच्चीस हजार रुपए की राशि से ; और

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा अपने विवाह के अवसर पर प्राप्त की गई एक लाख रुपए से अनधिक और राशि से,

20 अधिक नहीं है । ” ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक में, उपधारा (2) के पश्चात्, अंत में निम्नलिखित उपधारा 1 अक्टूबर, 2004 से अंतःस्थापित धारा 12कक का संशोधन ।
की जाएगी, अर्थात् :—

25 “(3) जहां किसी न्यास या किसी संस्था को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, उस न्यास या संस्था के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं तो वह ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाला आदेश लिखित में पारित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे न्यास या संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।”।

30 7. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (1) के उपखंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, धारा 17 का संशोधन।
अर्थात् :—

“(viii) पूर्ववर्ष में केंद्रीय सरकार द्वारा, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय ।”।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) के पहले परंतुक के खंड (आ) में, 1 अप्रैल, 2005 से, “पच्चीस धारा 32 का संशोधन।
प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ।

35 9. आय-कर अधिनियम की धारा 33कग की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2005 से धारा 33कग का संशोधन।
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि कोई कटौती 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।”।

40 10. आय-कर अधिनियम की धारा 35कग में उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर, 1 अक्टूबर, 2004 से निम्नलिखित धारा 35कग का संशोधन ।
उपधाराएं रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(4) जहां कोई संगम या संस्था, उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है और तत्पश्चात्—

(i) उस समिति का समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन रहते हुए अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, कार्यान्वित नहीं की जा रही है ; या

45 (ii) ऐसे संगम या संस्था ने, जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है,

वहां, राष्ट्रीय समिति, संबंधित संगम या संस्था को, अनुमोदन वापस लेने की प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, किसी समय, ऐसे अनुमोदन को वापस ले सकेगी :

50 परंतु अनुमोदन वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय समिति द्वारा उस निर्धारण अधिकारी को, जिसकी संबंधित संगम या संस्था पर अधिकारिता है, अग्रपिठ की जाएगी ।

(5) जहां कोई परियोजना या स्कीम, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित की गई है और तत्पश्चात्—

(i) राष्ट्रीय समिति का समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन रहते हुए ऐसी परियोजना या स्कीम अधिसूचित की गई थी, कार्यान्वित नहीं की जा रही है ; या

(ii) ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत नहीं की गई है,

वहां ऐसी अधिसूचना उसी रीति से वापस ली जा सकेगी जिसमें वह जारी की गई थी :

परंतु अनुमोदन वापस लेने की प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी को राष्ट्रीय समिति द्वारा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि उस अधिसूचना की प्रति, जिसके द्वारा पात्र परियोजना या स्कीम की अधिसूचना वापस ली जाती है, उस निर्धारण अधिकारी को जिसकी, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी पर, जो ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम चला रहा है, अधिकारिता है, अग्रेषित की जाएगी ।”।

धारा 40 का संशोधन। 11. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 अक्टूबर, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(i) किसी निवासी को संदेय कोई ब्याज, कमीशन या दलाली, वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या किसी काम को करने के लिए (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है) ठेकेदार या उप-ठेकेदार, जो निवासी है, के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त ऐसी रकम, जिस पर कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् उसे धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन और अध्याय 17ख के अन्य उपबंधों के अनुसार विहित समय की समाप्ति के पूर्व संदत्त नहीं किया गया है :

परंतु जहां किसी ऐसी राशि की बाबत अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती की गई है या किसी पश्चात्पूर्ती वर्ष में उसका संदाय किया गया है, वहां ऐसी राशि को उस पूर्ववर्ष की जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “कमीशन या दलाली” का वही अर्थ है जो धारा 194ज के स्पष्टीकरण के खंड (i) में है ;

(ii) “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस” का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है ;

(iii) “वृत्तिक सेवाओं” का वही अर्थ है जो धारा 194ज के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है ;

(iv) “काम” का वही अर्थ है जो धारा 194ग के स्पष्टीकरण 3 में है ;’।

धारा 56 का संशोधन। 12. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में खंड (iv) के पश्चात्, अंत में, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2005 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(v) धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xiii) में निर्दिष्ट आय :”।

धारा 71 का संशोधन। 13. आय-कर अधिनियम की धारा 71 में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है और निर्धारिती की “वेतन” शीर्ष के अधीन निर्धारणीय आय है, वहां निर्धारिती इसका हकदार नहीं होगा कि वह ऐसी हानि का ऐसी आय के प्रति मुजरा करा ले”।

नई धारा 80गघ का अंतःस्थापन । 14. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘80गगघ. (1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति है, पूर्ववर्ष में ऐसी किसी पेंशन स्कीम के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो या अधिसूचित की जाए, कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त की है, वहां उसे इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसकी कुल आय की संगणना करने में इस प्रकार संदत्त या निक्षिप्त की गई संपूर्ण रकम की, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती की दशा में केन्द्रीय सरकार उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके खाते में कोई संदाय करती है वहां निर्धारिती को उसकी कुल आय की संगणना करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिदाय की गई संपूर्ण रकम की, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारिती के खाते में उसके नाम में जमा ऐसी कोई रकम, जिसके संबंध में उस उपधारा या उपधारा (2) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, उस पर प्रोद्भूत रकम के साथ, यदि कोई हो, निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती द्वारा पूर्णतः या भागतः किसी पूर्ववर्ष में,—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम की समाप्ति या उसके उसमें न रहने का विकल्प लेने के कारण ; या

(ख) ऐसी समाप्ति या उसमें न रहने का विकल्प लेने पर क्रय की गई या ली गई वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन के रूप में,

प्राप्त की जाती है, वहां खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट संपूर्ण रकम उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी रकम प्राप्त की जाती है, यथास्थिति, निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती की आय समझी जाएगी और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभारित होगी ।

(4) जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम उपधारा (1) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की गई है, वहां ऐसी रकम के प्रतिनिर्देश से कोई रिबेट धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “वेतन” के अंतर्गत, यदि नियोजन के निबंधनों में ऐसा उपबंध हो जो महंगाई भत्ता है, किन्तु सभी अन्य भत्ते और परिलब्धियां अपवर्जित हैं ।’।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ के स्पष्टीकरण में 1 अप्रैल, 2005 से,—

धारा 80घघ का संशोधन।

1999 का 44

5

(क) खंड (ग) में, अंत में आने वाले “1995 की धारा 2 के खंड (झ) में है” अंकों, शब्दों, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, “और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग) और खंड (ज) में निर्दिष्ट ‘स्वपरायणता’, ‘प्रमस्तिष्क घात’ और ‘बहु-निःशक्तता’ भी है” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

1999 का 44

10

(ख) खंड (ड) के अंत में आने वाले “निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है” शब्दों के स्थान पर, “निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी या ऐसा अन्य चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग), खंड (ज), खंड (ज) और खंड (ण) में निर्दिष्ट ‘स्वपरायणता’, ‘प्रमस्तिष्क घात’, ‘बहु-निःशक्तता’, ‘निःशक्त व्यक्ति’ और ‘गंभीर निःशक्तता’ को प्रमाणित करने के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

1999 का 44

15

(ग) खंड (च) में, “खंड (न) में” शब्दों, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, “या राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ज) में” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

1996 का 1

‘(छ) “गंभीर निःशक्त व्यक्ति” से,—

(i) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में यथा निर्दिष्ट अस्सी प्रतिशत या अधिक की एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति ; या

1999 का 44

20

(ii) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ण) में निर्दिष्ट गंभीर निःशक्त व्यक्ति,

अभिप्रेत है ;’।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में 1 अप्रैल, 2005 से,—

धारा 80झक का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में, “विद्युत का पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है” शब्दों के पश्चात्, “या विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में,—

25

(अ) आरंभिक भाग में, “खंड (iv) में निर्दिष्ट” शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, “खंड (ii) या खंड (iv) में निर्दिष्ट” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2003 का 36

30

“परंतु इस उपधारा की कोई बात, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खंड (7) में निर्दिष्ट किसी राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के अंतरण, चाहे पूर्णतः हो या भागतः, की दशा में लागू नहीं होगी, चाहे ऐसा अंतरण उस अधिनियम के भाग 13 के अधीन बोर्ड के खंडन या पुनर्संरचना या पुनर्गठन के अनुसरण में है या नहीं।” ;

(ग) उपधारा (4) में,—

(अ) खंड (ii) में, “31 मार्च, 2004” अंकों और शब्द के स्थान पर, “31 मार्च, 2005” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (iv) में उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

35

‘(ग) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण” से पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क में संयंत्र और मशीनरी में 1 अप्रैल, 2004 को ऐसे संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य के कम से कम पचास प्रतिशत तक की कोई वृद्धि अभिप्रेत है ।’।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में, 1 अप्रैल, 2005 से,—

धारा 80झख का संशोधन ।

40

(क) उपधारा (1) में “उपधारा (11) और (11क)” शब्द, कोष्ठक, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “उपधारा (11), उपधारा (11क) और उपधारा (11ख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘परंतु यह भी कि जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी औद्योगिक उपक्रम की दशा में पहले परंतुक के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “31 मार्च, 2004” अंकों और शब्द के स्थान पर, “31 मार्च, 2005” अंक और शब्द रखे गए थे ;

45

परंतु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन कोई कटौती जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम को अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो तेरहवीं अनुसूची के भाग ‘ग’ में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है;’ ;

(ग) उपधारा (8क) के खंड (iii) में, “1 अप्रैल, 2004” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2005” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

50

“(10) किसी ऐसे उपक्रम की दशा में, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2007 के पूर्व अनुमोदित आवासन परियोजना के विकास और निर्माण में लगा हुआ है, कटौती की रकम किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में ऐसी आवासन परियोजना से व्युत्पन्न लाभ का सौ प्रतिशत होगी यदि,—

(क) ऐसे उपक्रम ने आवासन परियोजना का विकास और सन्निर्माण 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके पश्चात् प्रारंभ कर

दिया है या प्रारंभ करता है और ऐसा सन्निर्माण उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें आवासन परियोजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है, समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर लेता है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ऐसी दशा में, जहां किसी आवासन परियोजना के संबंध में एक से अधिक बार अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाता है, वहां ऐसी आवासन परियोजना उस तारीख को अनुमोदित की गई समझी जाएगी जिसको ऐसी आवासन परियोजना की भवन योजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पहली बार अनुमोदित की जाती है ;

(ii) आवासन परियोजना के सन्निर्माण के समापन की तारीख वह तारीख मानी जाएगी जिसको ऐसी आवासन परियोजना के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है ;

(ख) परियोजना ऐसे आकार के भू-भाग पर है जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ है :

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात विद्यमान भवनों के पुनःसन्निर्माण या पुनःविकास के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई और इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम के अनुसार चलाई जा रही आवासन परियोजना को लागू नहीं होगी ;

(ग) जहां, ऐसी निवास इकाई दिल्ली या मुंबई शहरों के भीतर या इन शहरों की नगरपालिक सीमाओं के पच्चीस किलोमीटर के भीतर अवस्थित है, वहां निवास इकाई का एक हजार वर्ग फुट अधिकतम निर्मित क्षेत्र है और किसी अन्य स्थान पर पन्द्रह सौ वर्ग फुट है ; और

(घ) आवासन परियोजना में सम्मिलित दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों का निर्मित क्षेत्र, आवासन परियोजना के कुल निर्मित क्षेत्र के पांच प्रतिशत या दो हजार वर्ग फुट, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं है ।”;

(ङ) उपधारा (11क) में, “ऐसे उपक्रम की दशा में, जो” शब्दों के पश्चात्, “फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारबार में या” शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(च) उपधारा (11क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(11ख) किसी ऐसे उपक्रम की दशा में, जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी अस्पताल के प्रचालन और अनुसंधान के कारबार से लाभ व्युत्पन्न कर रहा है, कटौती की रकम, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार के लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी, यदि—

(i) ऐसे अस्पताल का विनिर्माण 1 अक्टूबर, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय किया जाता है ;

(ii) अस्पताल में रोगियों के लिए कम से कम सौ बिस्तर हैं ;

(iii) अस्पताल का सन्निर्माण स्थानीय प्राधिकारी के तत्समय प्रवृत्त विनियमों के अनुसार है ; और

(iv) निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जाएं तथा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रूप में यह प्रमाणित करके कि कटौती का सही रूप में दावा किया गया है, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई अस्पताल उस तारीख को, सन्निर्मित किया गया समझा जाएगा, जिसको ऐसे सन्निर्माण के संबंध में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।”;

(छ) उपधारा (14) में,—

(अ) खंड (क) और खंड (कक) को क्रमशः खंड (कक) और खंड (कख) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःअक्षरांकित खंड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) “निर्मित क्षेत्र” से किसी निवास इकाई का भूमि की सतह पर भीतरी माप अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत दीवारों की मोटाई द्वारा बढ़ाए गए निकले भाग और बालकनी भी हैं किंतु जिसके अंतर्गत ऐसा सामान्य क्षेत्र नहीं है जिसमें अन्य निवास इकाइयां भागीदार हैं ;”;

(आ) खंड (ग) में,—

(I) उपखंड (iv) के प्रारंभ में, “खाद्यान्नों की उठाई-धराई” शब्दों से पहले, “फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारबार में या” शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) उपखंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(vii) किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी अस्पताल के प्रचालन और अनुसंधान में लगे हुए किसी उपक्रम की दशा में, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें उपक्रम चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराना आरंभ करता है ;”।

धारा 80प का संशोधन। 18. आय-कर अधिनियम की धारा 80प के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2005 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “निःशक्तता” का वही अर्थ है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (ज) में है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग) और खंड (ज) में निर्दिष्ट “स्वपरायणता”, “प्रमस्तिष्क घात” और “बहु-निःशक्तता” भी है ;

- 1996 का 1 (ख) “चिकित्सा प्राधिकारी” से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (त) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी या ऐसा अन्य चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग), खंड (ज), खंड (ञ) और खंड (ण) में निर्दिष्ट “स्वपरायणता”, “प्रमस्तिष्क घात”, “बहु-निःशक्तता”, “निःशक्त व्यक्ति”, और “गंभीर निःशक्तता” को प्रमाणित करने के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;
- 1999 का 44 5
- 1996 का 1 (ग) “निःशक्त व्यक्ति” से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (न) में या राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- 1999 का 44 10
- (घ) “गंभीर निःशक्त व्यक्ति” से,—
- 1996 का 1 (i) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में यथा निर्दिष्ट अस्सी प्रतिशत या अधिक की किसी एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति ; या
- 1999 का 44 (ii) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ण) में निर्दिष्ट गंभीर निःशक्त व्यक्ति,
- 15 अभिप्रेत है ।’
19. आय-कर अधिनियम की धारा 87 में, 1 अप्रैल, 2005 से,— धारा 87 का संशोधन।
- (क) उपधारा (1) में, “धारा 88, धारा 88क, धारा 88ख और धारा 88ग” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 88, धारा 88क, धारा 88ख, धारा 88ग और धारा 88घ” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (2) में, “या धारा 88ग” शब्दों, अंक और अक्षर के पश्चात्, “या धारा 88घ” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
- 20 20. आय-कर अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xv) के उपखंड (ग) में, मद (6) के पश्चात् निम्नलिखित मद, 1 धारा 88 का संशोधन। अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “(6क) निर्धारिती का नियोजक, जहां ऐसा नियोजक, किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई निगम अथवा कोई अन्य निकाय है ; या ।”
- 25 21. आय-कर अधिनियम की धारा 88ग के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2005 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 88घ का अंतःस्थापन ।
- “88घ. ऐसा निर्धारिती, जो भारत में निवासी व्यक्ति है और जिसकी कुल आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं है, अपनी कुल आय पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य आय-कर की रकम में से (जिसकी इस अध्याय के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व संगणना की जाती है) ऐसे आय-कर के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती का हकदार होगा ।”
22. आय-कर अधिनियम की धारा 90 के स्पष्टीकरण में, “जहां ऐसी विदेशी कंपनी ने लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेरयों पर लाभांश भी है) जो भारत में उसकी आय में से संदेय हैं, भारत में घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था नहीं की है ।” शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1962 से लोप किया गया समझा जाएगा । धारा 90 का संशोधन।
- 30 23. आय-कर अधिनियम की धारा 94 में, 1 अप्रैल, 2005 से,— धारा 94 का संशोधन।
- (क) उपधारा (7) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
- “(ख) ऐसा व्यक्ति,—
- 35 (i) ऐसी प्रतिभूतियों का, ऐसी तारीख के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर, या
- (ii) ऐसी यूनिट का, ऐसी तारीख के पश्चात् नौ मास की अवधि के भीतर, विक्रय या अंतरण करता है ;”;
- (ख) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “(8) जहां,—
- 40 (क) कोई व्यक्ति रिकार्ड तारीख के पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर किन्हीं यूनिटों का क्रय करता है या अर्जन करता है ;
- (ख) ऐसे व्यक्ति को ऐसी तारीख को ऐसी यूनिटें धारण करने के आधार पर कोई संदाय किए बिना अतिरिक्त यूनिटें आबंटित की जाती हैं ;
- (ग) ऐसा व्यक्ति खंड (क) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं यूनिटों का ऐसी तारीख के पश्चात् नौ मास की अवधि के भीतर विक्रय या अंतरण करता है, जबकि वह खंड (ख) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं अतिरिक्त यूनिटों को धारण किए रहता है,
- 45 वहां ऐसी सभी या किन्हीं यूनिटों के ऐसे क्रय और विक्रय मद्दे उसको उद्भूत होने वाली हानि, यदि कोई हो, कर के लिए प्रभार्य उसकी आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार हिसाब में नहीं ली गई हानि की रकम, खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसी अतिरिक्त यूनिटों के, जो उसके द्वारा ऐसे अंतरण या विक्रय की तारीख को धारण की जाती है, क्रय या अर्जन की, लागत समझी जाएगी ।”;
- (ग) स्पष्टीकरण में, खंड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
- 50 ‘(कक) “रिकार्ड तारीख” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो,—
- (i) लाभांश प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति धारक की हकदारी के प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी द्वारा ; या
- (ii) यथास्थिति, आय या प्रतिफल के बिना अतिरिक्त यूनिट प्राप्त करने के लिए यूनिटों के धारक की हकदारी के प्रयोजनों के लिए किसी पारस्परिक निधि या धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट उपक्रम या विनिर्दिष्ट कंपनी के प्रशासक द्वारा,
- 55 नियत की जाए ;”।

नई धारा 111क का अंतःस्थापन ।
कतिपय मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 111 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘111क. जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में, किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो प्रतिभूति है और ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय का संयवहार उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7 प्रवृत्त होता है, भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किया जाता है, उद्भूत कोई ऐसी आय सम्मिलित है, जो “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाय है वहां निर्धारिती द्वारा कुल आय पर संदेय कर निम्नलिखित का योग होगा,— 5

(i) कुल आय पर संदेय आय-कर की रकम जैसी कि वह ऐसी अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों की रकम को घटाकर आए मानो इस प्रकार घटाकर आई कुल आय उसकी कुल आय हो ; और

(ii) ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम :

परंतु किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जो निवासी है, जहां ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों को घटाकर आई कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से कम है, जो आय-कर से प्रभाय नहीं है, वहां ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों में से ऐसी रकम घटा दी जाएगी जिससे इस प्रकार घटाकर आई कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से कम पड़ जाती है जो आय-कर से प्रभाय नहीं है और ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के अतिशेष पर कर की संगणना दस प्रतिशत की दर से की जाएगी । 10

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रतिभूति” और “मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज” के क्रमशः वही अर्थ हैं, जो धारा 10 के खंड (38) में हैं ।’ 15

धारा 115कघ का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ii) में, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर परिकलित आय-कर की रकम दस प्रतिशत की दर से होगी ;”।

धारा 115जख का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के स्पष्टीकरण में 1 अप्रैल, 2005 से,— 20

(क) खंड (i) में, “धारा 10” शब्द और अंकों के स्थान पर, “धारा 10 [उसके खंड (23छ) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न]” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में “धारा 10” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 10 [उसके खंड (23छ) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न]” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 115द का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) में,— 25

(क) “साढ़े बारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर का संदाय करने के लिए दायी होगी :” शब्दों के स्थान पर, 9 जुलाई, 2004 से, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, वितरित आय पर साढ़े बारह प्रतिशत ; और

(ii) किसी अन्य व्यक्ति को वितरित आय पर बीस प्रतिशत,

की दर से अतिरिक्त कर का संदाय करने के लिए दायी होगी :” ; 30

(ख) परंतुक में, “1 अप्रैल, 2003 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए” अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ।

नए अध्याय 12छ का अंतःस्थापन ।

28. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12च के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘अध्याय 12छ

पोत कंपनियों की आय से संबंधित विशेष उपबंध 35

क—प्रयुक्त कतिपय पदों के अर्थ

परिभाषाएं ।

115फ. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अनावृत्त नौका चार्टर” से किसी पोत को ऐसे निबंधनों पर, जो भाड़े पर लेने वाले को पोत का कब्जा और नियंत्रण, जिसके अंतर्गत मास्टर और कर्मीदल की नियुक्ति का अधिकार भी है, देते हैं, किसी अनुबद्ध अवधि के लिए भाड़े पर लेना अभिप्रेत है ; 40

(ख) “अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण” से, जहां पोत का स्वामित्व विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् किसी कंपनी को, जिसके लिए इसे भाड़े पर लिया गया है, अंतरित किए जाने के लिए आशयित है, वहां अनावृत्त नौका चार्टर अभिप्रेत है ;

(ग) “पोत परिवहन महानिदेशक” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पोत परिवहन महानिदेशक अभिप्रेत है ; 1958 का 44

(घ) “कारखाना पोत” के अंतर्गत मत्स्य उत्पाद के प्रसंस्करण की सेवाएं प्रदान करने वाला जलयान भी है ; 45

(ङ) “मछली पकड़ने का जलयान” का वही अर्थ है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (12) में है ; 1958 का 44

(च) “क्रीड़ा यान” से किसी प्रकार का ऐसा पोत अभिप्रेत है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेलकूद या आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ;

(छ) “अर्हक कंपनी” से धारा 115फग में निर्दिष्ट कंपनी अभिप्रेत है ; 50

(ज) “अर्हक पोत” से धारा 115फघ में निर्दिष्ट पोत अभिप्रेत है ;

(झ) “समुद्रगामी पोत” से कोई पोत अभिप्रेत है, यदि उसे किसी देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस रूप में प्रमाणित कर दिया जाता है ;

(ञ) “टनभार आय” से इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई किसी कंपनी की आय अभिप्रेत है;

(ट) “टनभार कर क्रियाकलाप” से धारा 115फझ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्रियाकलाप अभिप्रेत है ;

5 (ठ) “टनभार कर कंपनी” से ऐसी अर्हक कंपनी अभिप्रेत है, जिसके संबंध में टनभार कर विकल्प प्रवृत्त है ;

(ड) “टनभार कर स्कीम” से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना के लिए कोई स्कीम अभिप्रेत है ।

ख—अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से टनभार आय की संगणना

10 115फक. धारा 28 से धारा 43ग में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी कंपनी की दशा में, अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से आय की संगणना, उसके विकल्प पर, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की जा सकेगी और ऐसी आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार का लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी ।

15 115फख. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी कंपनी को पोत प्रचालन करने वाली कंपनी समझा जाएगा, यदि वह किसी पोत का, चाहे वह उसके स्वामित्वाधीन हो या उसके द्वारा भाड़े पर लिया गया हो, प्रचालन करती है और इसके अंतर्गत कोई ऐसी दशा भी है, जिसमें पोत का एक भाग ही स्लाट चार्टर, स्थान चार्टर या संयुक्त चार्टर जैसी किसी व्यवस्था में उसके द्वारा भाड़े पर लिया गया है :

परंतु किसी ऐसी कंपनी को पोत का प्रचालक नहीं माना जाएगा, जिसे उसके द्वारा अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण निबंधनों पर या अनावृत्त नौका चार्टर निबंधनों पर तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भाड़े पर दिया गया है ।

115फग. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई कंपनी, अर्हक कंपनी है, यदि,—

अर्हक कंपनी ।

1956 का 1

(क) वह कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है ;

20 (ख) कंपनी के दक्ष प्रबंध का स्थान भारत में है ;

(ग) वह कम से कम एक अर्हक पोत की स्वामी है ; और

(घ) कंपनी का एक प्रमुख उद्देश्य अर्हक पोतों के प्रचालन का कारबार करना है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “कंपनी के दक्ष प्रबंध का स्थान” से,—

(क) वह स्थान, जहां, यथास्थिति, कंपनी का निदेशक बोर्ड या उसके कार्यकारी निदेशक अपने विनिश्चय करते हैं ; या

25 (ख) उस दशा में, जहां निदेशक बोर्ड कंपनी के कार्यकारी निदेशकों या अधिकारियों द्वारा किए गए वाणिज्यिक और नीतिगत विनिश्चयों को नियमित रूप से अनुमोदित करते हैं, वह स्थान, जहां कंपनी के ऐसे कार्यकारी निदेशक या अधिकारी अपने कृत्यों का पालन करते हैं,

अभिप्रेत है ।

1958 का 44

30 115फघ. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, “अर्हक पोत” से पन्द्रह या अधिक शुद्ध टनभार का कोई ऐसा समुद्रगामी पोत या जलयान अभिप्रेत है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसकी बाबत उसका शुद्ध टनभार उपदर्शित करने वाला विधिमान्य प्रमाणपत्र प्रवृत्त है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,—

(i) कोई समुद्रगामी पोत या जलयान, यदि उसका मुख्य उद्देश्य, जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, उस किस्म के माल या सेवाओं का उपबंध करना है जो, भूमि पर सामान्यतया उपलब्ध कराई जाती हैं ;

(ii) मछली पकड़ने का जलयान ;

35 (iii) कारखाना पोत ;

(iv) क्रीड़ा यान ;

(v) बंदरगाह और नदी नौघाट ;

(vi) अपतट संस्थापन ;

(vii) निकर्षण पोत ;

40 (viii) ऐसा अर्हक पोत, जिसका किसी पूर्ववर्ष के दौरान तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए मछली पकड़ने के जलयान के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

115फड. (1) अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार में लगी कोई टनभार कर कंपनी, टनभार कर स्कीम के अधीन ऐसे कारबार के लाभों की संगणना करेगी ।

टनभार कर स्कीम के अधीन आय की संगणना की रीति ।

45 (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय को प्रोद्भूत करने वाले अर्हक पोत प्रचालन के कारबार को कंपनी द्वारा किए जा रहे सभी अन्य क्रियाकलापों या कारबार से सुभिन्न पृथक् कारबार (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय में टनभार कर कारबार कहा गया है) के रूप में समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभों को किसी अन्य कारबार के लाभों और अभिलाभों से पृथक् रूप में संगणित किया जाएगा ।

(4) टनभार कर स्कीम केवल तभी लागू होगी, जब धारा 115पत के उपबंधों के अनुसार उस आशय का कोई विकल्प दिया जाता है ।

50 (5) जहां, यथास्थिति, अर्हक पोत प्रचालन के कारबार में लगी कोई कंपनी टनभार कर स्कीम के अंतर्गत नहीं आती है या उसने उस आशय का विकल्प नहीं दिया है, वहां ऐसे कारबार से उस कंपनी के लाभों और अभिलाभों की संगणना इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

टनभार आय ।

115फच. इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, टनभार आय की संगणना धारा 115फछ के अनुसार की जाएगी और इस प्रकार संगणित आय, “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य लाभ समझी जाएगी तथा धारा 115फझ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत पोत परिवहन की आय कर से प्रभार्य नहीं होगी।

टनभार आय की संगणना ।

115फछ. (1) किसी पूर्ववर्ष के लिए टनभार कर कंपनी की टनभार आय प्रत्येक अर्हक पोत की कुल टनभार आय होगी, जो उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई हो । 5

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक अर्हक पोत की टनभार आय प्रत्येक ऐसे पोत की दैनिक टनभार आय होगी, जिसे—

(क) यथास्थिति, पूर्ववर्ष में दिनों की संख्या ; या

(ख) यदि पोत को कंपनी द्वारा पूर्ववर्ष के केवल एक भाग के लिए अर्हक पोत के रूप में प्रचालित किया जाता है तो पूर्ववर्ष के भाग के दौरान दिनों की संख्या, 10

से गुणा किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट टनभार वाले किसी अर्हक पोत की दैनिक टनभार आय, उसके तत्स्थानी स्तंभ (2) की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम होगी :

सारणी

शुद्ध टनभार वाला अर्हक पोत	दैनिक टनभार आय की रकम	15
(1)	(2)	
1,000 तक	46 ₹ प्रति सौ टन	
1,000 से अधिक किंतु 10,000 से अनधिक	460 ₹ धन 1000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 35 ₹	
10,000 से अधिक किंतु 25,000 से अनधिक	3,610 ₹ धन 10,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 28 ₹	20
25,000 से अधिक	7,810 ₹ धन 25,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 19 ₹	

(4) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, “टनभार” से धारा 115फभ में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में उपदर्शित किसी पोत का टनभार अभिप्रेत होगा और इसके अंतर्गत विहित रीति में संगणित समझा गया टनभार भी है। 25

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “समझा गया टनभार,” स्लाटों, स्लाट चार्टर के क्रय की व्यवस्था और जलयान का माल निकालने में से हिस्सा बंटाने की व्यवस्था के संबंध में टनभार होगा ।

(5) टनभार को सौ टनों के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए किलोग्रामों वाले किसी टनभार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और तत्पश्चात् यदि ऐसा टनभार सौ का गुणज नहीं है तब, यदि उस मात्रा में अंतिम अंक पचास टन या अधिक है, तो टनभार को अगले उच्चतर टनभार तक बढ़ाया जाएगा, जो सौ का गुणज है और यदि अंतिम अंक पचास टन से कम है तो टनभार को अगले निम्नतर टनभार तक, जो सौ का गुणज है, घटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार पूर्णांकित टनभार को इस धारा के प्रयोजनों के लिए पोत का टनभार समझा जाएगा । 30

(6) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन टनभार आय की संगणना करने में कोई कटौती या मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

संयुक्त प्रचालन, आदि की दशा में परिकलन ।

115फज. (1) जहां कोई अर्हक पोत दो या अधिक कंपनियों द्वारा पोत में संयुक्त हित के रूप में या पोत के प्रयोग के लिए किसी करार के रूप में प्रचालित किया जाता है और उनके अपने-अपने अंश निश्चित और अभिनिश्चित किए जाने योग्य हैं वहां ऐसी प्रत्येक कंपनी की टनभार आय उस हित के उनके अंश के अनुपात में आय के अंश के बराबर रकम होगी । 35

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां दो या अधिक कंपनियां किसी अर्हक पोत की प्रचालक हैं, वहां प्रत्येक कंपनी की टनभार आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो केवल ऐसी प्रत्येक कंपनी ही प्रचालक रही हो ।

सुसंगत पोत आय ।

115फझ. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, टनभार कर कंपनी की सुसंगत पोत आय से, — 40

(i) उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य क्रियाकलापों से उसके लाभ ;

(ii) उपधारा (5) में निर्दिष्ट आनुषंगिक क्रियाकलापों से उसके लाभ,

अभिप्रेत हैं :

परंतु जहां खंड (ii) में विनिर्दिष्ट सभी ऐसी आयों का योग उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य क्रियाकलापों से आवर्त के एक बटा चार प्रतिशत से अधिक होता है, वहां ऐसा आधिक्य इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सुसंगत पोत आय का भाग नहीं बनेगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कराधेय होगा । 45

(2) किसी टनभार कर कंपनी के मुख्य क्रियाकलाप निम्नलिखित होंगे—

(i) अर्हक पोतों का प्रचालन करने के उसके क्रियाकलाप ; और

(ii) नीचे यथाउल्लिखित अन्य पोत संबंधी क्रियाकलाप,—

(अ) निम्नलिखित की बाबत पोत संविदाएं—

(i) एकीकरण व्यवस्थाओं से उपार्जन ;

(ii) माल वहन के लिए पोत तय करने संबंधी संविदाएं । 50

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “एकीकरण व्यवस्था” से, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक या अधिक पोतों के एकीकरण या प्रचालन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने और उनके बीच परस्पर तय पाए गए आधार पर उपार्जन या प्रचालन संबंधी लाभों में हिस्सा बंटाने के लिए कोई करार अभिप्रेत है ;
- 5 (ख) “माल वहन के लिए पोत तय करने संबंधी संविदा” से ऐसी कोई सेवा संविदा अभिप्रेत है, जिसके अधीन कोई टनभार कर कंपनी विनिर्दिष्ट अवधि में अभिहित लदाई और उतराई के पत्तनों के बीच विनिर्दिष्ट दर पर विनिर्दिष्ट उत्पादों की विनिर्दिष्ट मात्रा के परिवहन का करार करती है ।
- (आ) विनिर्दिष्ट पोत व्यापार, जो—
- (i) यात्री पोतों के फलक पर या तट पर क्रियाकलाप हैं, जिनमें भाड़ा और फलक पर उपभोग किए जाने वाला खाद्य और सुपेय भी हैं ;
- 10 (ii) स्लाट चार्टर, स्थान चार्टर, संयुक्त चार्टर, पोषक सेवाएं, आधान पोत की आधान पेटियां पट्टे पर देना हैं ।
- (3) केंद्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दिष्ट क्रियाकलाप को अपवर्जित कर सकेगी या उस सीमा को विहित कर सकेगी, जिस तक ऐसे क्रियाकलाप इस धारा के प्रयोजनों के लिए, मुख्य क्रियाकलापों में सम्मिलित किए जाएंगे ।
- 15 (4) इस अध्याय के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात्, यथासंभवशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुषंगिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि यथापूर्वोक्त सत्र या आनुकमिक सत्रों के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएं कि अधिसूचना में कोई उपांतरण किए जाने चाहिए या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो, तत्पश्चात् अधिसूचना का, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभाव होगा या निष्प्रभाव हो जाएगी, तथापि, उस अधिसूचना के उपांतरित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- 20 (5) आनुषंगिक क्रियाकलाप, वे क्रियाकलाप होंगे, जो मुख्य क्रियाकलापों के आनुषंगिक हैं और जिन्हें इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए ।
- (6) जहां कोई टनभार कंपनी ऐसे किसी पोत का प्रचालन करती है, जो अर्हक पोत नहीं है वहां वह आय, जो ऐसे अनर्हक पोत के प्रचालन से होती है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित की जाएगी ।
- 25 (7) जहां टनभार कर कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित किसी माल या सेवाओं को किसी टनभार कर कंपनी द्वारा किए जा रहे किसी अन्य कारबार में अंतरित किया जाता है या जहां ऐसी टनभार कर कंपनी द्वारा किए जा रहे किसी अन्य कारबार के प्रयोजनों के लिए टनभार कर कारबार को अंतरित किया जाता है और प्रत्येक दशा में, टनभार कर कारबार के लेखाओं में यथा अभिलिखित ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल, यदि कोई है, अंतरण की तारीख को उस माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के समरूप नहीं होता है, वहां इस धारा के अधीन सुसंगत पोत आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो प्रत्येक दशा में अंतरण उस तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य पर किया गया था :
- 30 परंतु जहां, निर्धारण अधिकारी की राय में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रीति में सुसंगत पोत आय की संगणना करने में आपवादिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसी आय की संगणना ऐसे युक्तियुक्त आधार पर कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 35 **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी माल या सेवाओं के संबंध में “बाजार मूल्य” से वह कीमत अभिप्रेत है, जो ऐसा माल या सेवाएं खुले बाजार में सामान्यतया विक्रय पर प्राप्त करेंगी ।
- (8) जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि टनभार कर कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच निकट संबंध के कारण या किसी अन्य कारण से उनके बीच कारबार का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि उनके बीच संव्यवहार किए गए कारबार से टनभार कर कंपनी को उन सामान्य लाभों से, जिनके टनभार कर कारबार में उत्पन्न होने की आशा की जा सकती, अधिक लाभ होता है, वहां निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए टनभार कंपनी की सुसंगत पोत आय की संगणना करने में उस आय की रकम को हिसाब में लेगा, जो युक्तियुक्त रूप से उससे व्युत्पन्न हुई समझी जाए ।
- 40 **स्पष्टीकरण**—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, यदि टनभार कर कंपनी की सुसंगत पोत आय के अंतर्गत कोई हानि है तो ऐसी हानि को टनभार आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।
- 45 115फज. (1) जहां कोई टनभार कर कंपनी, टनभार कर कारबार से भिन्न कोई कारबार या क्रियाकलाप भी करती है, वहां सामान्य खर्चों का दिया सामान्य खर्च, जो टनभार कर कारबार से हुए माने जा सकते हैं, युक्तियुक्त आधार पर अवधारित किए जाएंगे । जाना ।
- (2) जहां अर्हक पोत से भिन्न किसी आस्ति का, टनभार कर कंपनी द्वारा टनभार कर कारबार के लिए पूर्णतया उपयोग नहीं किया जाता है, वहां ऐसी आस्ति के संबंध में अवक्षयण को निर्धारण अधिकारी द्वारा, टनभार कर कारबार के प्रयोजन के लिए और अन्य कारबार के लिए ऐसी आस्ति के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, उसके टनभार कर कारबार और अन्य कारबार के बीच उचित अनुपात में आबंटित किया जाएगा ।
- 50 115फट. (1) धारा 115फट के खंड (iv) के अधीन अवक्षयण की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, टनभार कर स्कीम के पहले पूर्ववर्ष के लिए (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में पहला पूर्ववर्ष कहा गया है) अवक्षयण की संगणना उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अर्हक पोत के अवलिखित मूल्य पर की जाएगी । अवक्षयण ।
- (2) पूर्ववर्ष के पहले दिन को आस्तियों, जो पोत हैं, के समूह के अवलिखित मूल्य को, अर्हक पोतों के (जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में अर्हक आस्ति कहा गया है) अवलिखित बही मूल्य और गैर-अर्हक पोतों के (जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में अन्य आस्ति कहा गया है) के अवलिखित बही मूल्य के अनुपात में विभाजित किया जाएगा ।
- 55 (3) उपधारा (2) के अधीन यथा अवधारित अर्हक आस्तियों का समूह, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आस्तियों का पृथक् समूह होगा ।

(4) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए अर्हक आस्तियों के समूह और अन्य आस्तियों के समूह के बही अवलिखित मूल्य की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को प्रत्येक अर्हक आस्ति और अन्य आस्तियों का, जो विभाजित की जाने वाली आस्तियों के समूह का भागरूप हैं, बही अवलिखित मूल्य और पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को प्रत्येक ऐसी आस्ति का बही अवलिखित मूल्य लेकर अवधारित किया जाएगा :

परंतु ऐसी आस्तियों के मूल्य में, उस तारीख के, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पश्चात् उनके पुनःमूल्यांकन के परिणामस्वरूप हुए, किसी परिवर्तन को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ;

(ख) सभी अर्हक आस्तियों और अन्य आस्तियों के बही अवलिखित मूल्य संकलित किए जाएंगे ; और

(ग) अर्हक आस्तियों के संकलित बही अवलिखित मूल्य और अन्य आस्तियों के संकलित बही अवलिखित मूल्य का अनुपात अवधारित किया जाएगा ।

(5) जहां किसी आस्ति का, जो आस्तियों के समूह का भागरूप है, टनभार कर कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना आरंभ होता है, वहां ऐसी आस्ति के आबंटनीय अवलिखित मूल्य का समुचित भाग, आस्तियों के समूह के अवलिखित मूल्य से घटा दिया जाएगा और अन्य आस्तियों के समूह में जोड़ दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी आस्ति को जिसका टनभार कर कारबार के लिए उपयोग किया जाना आरंभ होता है, आबंटनीय अवलिखित मूल्य का समुचित भाग वह रकम होगी, जिसका पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को अर्हक आस्तियों के समूह के अवलिखित मूल्य के साथ वही अनुपात है, जो टनभार कर कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना आरंभ किए जाने वाली आस्ति के बही अवलिखित मूल्य का, सभी आस्तियों के जो अर्हक आस्तियों के समूह का भागरूप हैं, बही अवलिखित मूल्य से है ।

(6) जहां किसी आस्ति का, जो अन्य आस्तियों के समूह का भागरूप है, टनभार कर के कारबार के लिए प्रयोग किया जाना आरंभ होता है, वहां ऐसी आस्ति को आबंटनीय अवलिखित मूल्य, अन्य आस्तियों के समूह के अवलिखित मूल्य से घटा दिया जाएगा और अर्हक आस्तियों के समूह में जोड़ दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उस आस्ति को, जिसका टनभार कर कारबार के लिए उपयोग किया जाना आरंभ होता है, आबंटनीय अवलिखित मूल्य का समुचित भाग वह रकम होगी, जिसका पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को अन्य आस्तियों के समूह के अवलिखित मूल्य के साथ वही अनुपात है जो टनभार कर कारबार के लिए उपयोग किए जाने वाली आस्ति के बही अवलिखित मूल्य का, सभी आस्तियों के, जो अन्य आस्तियों के समूह का भागरूप हैं, बही अवलिखित मूल्य से है ।

(7) उपधारा (5) या उपधारा (6) में उल्लिखित किसी आस्ति के संबंध में धारा 115फठ के खंड (iv) के अधीन अवक्षयण की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, पूर्ववर्ष के लिए संगणित अवक्षयण को, उन दिनों की संख्या के, जिनके लिए आस्ति का टनभार कर कारबार के लिए और टनभार कर कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया था, अनुपात में आबंटित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अर्हक आस्तियों के समूह और इस प्रकार सृजित अन्य आस्तियों के समूह के संबंध में अवक्षयण इस प्रकार अनुज्ञात किया जाएगा, मानो उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवलिखित मूल्य पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष से अग्रणीत किया गया हो ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अवलिखित बही मूल्य” से लेखा बहियों में आने वाला अवलिखित मूल्य अभिप्रेत है ।

115फठ. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी टनभार कर कंपनी की टनभार आय की, किसी पूर्ववर्ष के लिए (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में “सुसंगत पूर्ववर्ष” कहा गया है), जिसमें वह इस अध्याय के अनुसार कर से प्रभार्य है, संगणना करने में—

(i) धारा 30 से धारा 43ख इस प्रकार लागू होंगी, मानो उनमें निर्दिष्ट और किसी सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी के संबंध में या उसके लिए अनुज्ञेय प्रत्येक हानि, मोक या कटौती को उस पूर्ववर्ष के लिए ही पूरा प्रभाव दिया गया हो ;

(ii) धारा 70 की उपधारा (1) और उपधारा (3) या धारा 71 की उपधारा (1) और उपधारा (2) या धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 72क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई हानि, जहां तक ऐसी हानि कंपनी के अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से संबंधित है, अग्रणीत या मुजरा नहीं की जाएगी, जहां ऐसी हानि ऐसे किसी पूर्ववर्ष से संबंधित है, जब कंपनी टनभार कर स्कीम के अधीन है ;

(iii) अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से लाभों और अभिलाभों के संबंध में अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ; और

(iv) धारा 32 के अधीन अवक्षयण मोक की संगणना करने में, टनभार कर कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की गई किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य इस प्रकार संगणित किया जाएगा, मानो कंपनी ने सुसंगत पूर्ववर्षों के लिए अवक्षयण के संबंध में दावा किया हो और कटौती वास्तव में अनुज्ञात की गई हो ।

हानि का अपवर्जन ।

115फड. (1) धारा 72 किन्हीं ऐसी हानियों के संबंध में, जो किसी कंपनी को, टनभार कर स्कीम में उसके विकल्प के पूर्व प्रोद्भूत हुई हैं और जो उसके टनभार कर कारबार के कारण होती हैं, इस प्रकार लागू होंगी मानो ऐसी हानियां उन पूर्ववर्षों में से किसी में, जब कंपनी टनभार कर स्कीम के अधीन थी, सुसंगत पोत आय के प्रति मुजरा की गई थीं ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानियां, ऐसे किसी पूर्ववर्ष से, जिसमें या जिसके पश्चात् कंपनी धारा 115फठ के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करती है, सुसंगत पोत आय से भिन्न किसी आय के प्रति मुजरा के लिए उपलब्ध नहीं होंगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानियों का अवधारण करने के लिए आवश्यक कोई प्रभाजन, युक्तियुक्त आधार पर किया जाएगा।

टनभार कर आस्तियों के अंतरण से प्रभार्य अभिलाभ ।

115फड. किसी पूंजी आस्ति के, जो आस्तियों के अर्हक समूह का भागरूप आस्ति है, अंतरण से उद्भूत कोई लाभ या अभिलाभ, धारा 50 के साथ पठित धारा 45 के उपबंधों के अनुसार आय-कर से प्रभार्य होंगे और इस प्रकार उद्भूत पूंजी अभिलाभों की संगणना, धारा 45 से धारा 51 तक के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ;

परंतु ऐसे लाभों या अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, धारा 50 के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो, “आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य” शब्दों के स्थान पर, “अर्हक आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य” शब्द रखे गए हों ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए “अर्हक आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य” से, धारा 115फट की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संगणित मूल्य अभिप्रेत है ।

- 5 115फण. धारा 115फझ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी टनभार कर कंपनी के क्रियाकलापों से व्युत्पन्न बही लाभ या हानि, धारा 115जख से धारा 115जख के प्रयोजनों के लिए कंपनी के बही लाभ से अपवर्जित की जाएगी । अपवर्जन ।

ग—टनभार कर स्कीम के विकल्प के लिए प्रक्रिया

115फत. (1) कोई अर्हक कंपनी, उस संयुक्त आयुक्त को, जिसकी कंपनी पर अधिकारिता है, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प देने की प्रकृति और समय । जो विहित की जाए, आवेदन करके टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प दे सकेगी ।

- 10 (2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन किसी विद्यमान अर्हक कंपनी द्वारा, 30 सितंबर, 2004 के पश्चात्, किंतु 1 जनवरी, 2004 के पूर्व (जिसे इसके पश्चात् “आरंभिक अवधि” कहा गया है) किया जा सकेगा :

परंतु—

(i) आरंभिक अवधि के पश्चात् निगमित कोई कंपनी ; या

(ii) आरंभिक अवधि के पूर्व निगमित कोई कंपनी, जो आरंभिक अवधि के पश्चात् पहली बार अर्हक कंपनी हो जाती है,

- 15 यथास्थिति, अपने निगमन की तारीख से या उस तारीख से, जिसको वह अर्हक कंपनी हो जाती है, तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन कर सकेगी ।

(3) संयुक्त आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन टनभार कर स्कीम के विकल्प के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, कंपनी से ऐसी जानकारी या दस्तावेज, जो वह कंपनी की पात्रता के बारे में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे, मंगा सकेगा और टनभार कर स्कीम के लिए ऐसा विकल्प करने के संबंध में कंपनी की पात्रता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात्, वह —

(i) टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का अनुमोदन करते हुए लिखित रूप में आदेश पारित करेगा ; या

(ii) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प के अनुमोदन से इन्कार करते हुए लिखित रूप में आदेश पारित करेगा,

और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी :

- 25 परंतु खंड (ii) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो ।

(4) उपधारा (3) के, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) के अधीन टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का अनुमोदन करने या उससे इंकार करने वाला प्रत्येक आदेश, उस मास की समाप्ति से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किया गया था, एक मास की समाप्ति के पूर्व पारित किया जाएगा ।

- 30 (5) जहां उपधारा (3) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां इस अध्याय के उपबंध उस पूर्ववर्ष से, जिसमें टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से लागू होंगे ।

115फथ. (1) टनभार कर स्कीम के लिए कोई विकल्प, धारा 115फत की उपधारा (3) के अधीन अनुमोदित किए जाने के पश्चात्, उस तारीख से, जिसको ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, दस वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से गणना में लिया जाएगा । वह अवधि, जिसके लिए टनभार कर विकल्प प्रवृत्त रहेगा ।

- 35 (2) टनभार कर स्कीम के लिए कोई विकल्प, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष से प्रभावी नहीं रह जाएगा, जिसमें—

(क) अर्हक कंपनी, अर्हक कंपनी नहीं रहती है ;

(ख) धारा 115फन या धारा 115फप या धारा 115फफ में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो,

(ग) टनभार कर कंपनी, धारा 115फयग के अधीन टनभार कर स्कीम से अपवर्जित कर दी जाती है ;

- 40 (घ) अर्हक कंपनी निर्धारण अधिकारी को इस आशय की लिखित रूप में घोषणा प्रस्तुत करती है कि इस अध्याय के उपबंध उसे लागू न किए जाएं और अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से कंपनी के लाभों और अभिलाभों की इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणना की जाएगी ।

115फद. (1) धारा 115फत की उपधारा (3) के अधीन अनुमोदित टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प, उस पूर्ववर्ष की, जिसमें टनभार कर स्कीम का विकल्प प्रभावी नहीं रह गया है, समाप्ति से एक वर्ष के भीतर नवीकृत किया जा सकेगा । नवीकरण ।

- 45 (2) धारा 115फत और 115फथ के उपबंध, टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प के नवीकरण के संबंध में उसी रीति से लागू होंगे जैसे वे टनभार कर स्कीम के विकल्प के अनुमोदन के संबंध में लागू होते हैं ।

115फघ. कोई अर्हक कंपनी जो, स्वप्रेरणा से, टनभार कर स्कीम छोड़ने के विकल्प का प्रयोग करती है या धारा 115फन या धारा 115फप या धारा 115फफ के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है या जिसका विकल्प धारा 115फयग की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में टनभार कर स्कीम से अपवर्जित कर दिया गया है, इस प्रकार, कतिपय मामलों में टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रतिषेध ।

- 50 यथास्थिति, स्कीम छोड़ने के विकल्प का प्रयोग करने या व्यतिक्रम करने या आदेश की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प देने की पात्र नहीं होगी ।

घ—टनभार कर स्कीम के लागू होने की शर्तें

टनभार कर आरक्षिति खाते में लाभों का अंतरण ।

115फन. (1) किसी टनभार कर कंपनी से, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उनके अनुसार एक आरक्षिति खाते में, (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में टनभार कर आरक्षिति खाता कहा गया है) प्रत्येक पूर्ववर्ष में धारा 115फझ की उपधारा (1) के खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से व्युत्पन्न बही लाभों के बीस प्रतिशत से अन्यून रकम, उपधारा (3) में अधिकथित रीति से उपयोग किए जाने के लिए जमा करने की अपेक्षा की जाएगी :

5

परंतु कोई टनभार कर कंपनी बही लाभ के बीस प्रतिशत से अधिक राशि का अंतरण कर सकेगी और इस प्रकार अंतरित की गई अधिक राशि का भी, उपधारा (3) में अधिकथित रीति से उपयोग किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “बही लाभ”, जहां तक उसका संबंध धारा 115फझ की उपधारा (1) के खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से व्युत्पन्न आय से है, वही अर्थ है, जो धारा 115अख की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में है ।

10

(2) जहां, किसी कंपनी को अर्हक पोटों के प्रचालन के कारबार से बही लाभ और किन्हीं अन्य स्रोतों से बही हानि होती है और परिणामस्वरूप कंपनी उपधारा (1) के अधीन आरक्षितियों का पूर्णतः या भागतः सृजन करने की स्थिति में नहीं है, वहां कंपनी उस पूर्ववर्ष में संभव सीमा तक आरक्षितियों का सृजन करेगी और कमी, यदि कोई है, आगामी पूर्ववर्ष के लिए सृजित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षितियों की रकम में जोड़ दी जाएगी और ऐसी कमी उस आगामी पूर्ववर्ष की आरक्षिति अपेक्षा का भाग समझी जाएगी:

15

परंतु उस सीमा तक, जिस तक किसी विशिष्ट पूर्ववर्ष के दौरान आरक्षिति के सृजन में कमी, इस उपधारा के अधीन आगामी पूर्ववर्ष को अग्रनीत की जाती है, कंपनी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने प्रथम उल्लिखित पूर्ववर्ष के लिए पर्याप्त आरक्षिति का सृजन कर लिया है :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में दूसरे वर्ष के संबंध में लागू नहीं होगी, जिसमें आरक्षिति के सृजन में कमी दो क्रमवर्ती पूर्ववर्षों में बनी रहती है ।

20

(3) उपधारा (1) के अधीन टनभार कर आरक्षिति खाते में जमा की गई रकम का उपयोग, कंपनी द्वारा उस पूर्ववर्ष के, जिसमें रकम जमा की गई थी, आगामी अगले आठ वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व निम्नलिखित के लिए किया जाएगा—

(क) कंपनी के कारबार के प्रयोजनों के लिए किसी नए पोट का अर्जन करने के लिए ; और

(ख) नए पोट का अर्जन किए जाने तक, लाभांशों या लाभों के रूप में वितरण से अन्यथा अर्हक पोटों के प्रचालन के कारबार के प्रयोजनों के लिए या लाभ के रूप में भारत से बाहर प्रेषण के लिए या भारत से बाहर किसी आर्स्टि के सृजन के लिए ।

25

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन टनभार कर आरक्षिति खाते में जमा किसी रकम का,—

(क) उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है ; या

(ख) उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है ; या

(ग) उपधारा (3) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट नए पोट का अर्जन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, किन्तु ऐसे पोट का कंपनी द्वारा निर्विलयन की किसी स्कीम के अनुसार से अन्यथा उस पूर्ववर्ष की समाप्ति से, जिसमें वह अर्जित किया गया था, तीन वर्ष के अवसान के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है या अन्यथा अंतरित कर दिया गया है,

30

वहां वह रकम, जिसका उस वर्ष की, जिसमें ऐसी आरक्षिति का सृजन किया गया था, सुसंगत कुल पोट आय से वही अनुपात है जो इस प्रकार उपयोग की गई या उपयोग न की गई ऐसे आरक्षिति की रकम का, उपधारा (1) के अधीन उस वर्ष के दौरान सृजित कुल आरक्षिति से है, निम्नलिखित दशाओं में इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कराधेय होगी—

35

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट दशा में उस वर्ष में, जिसमें रकम का इस प्रकार उपयोग किया गया था ; या

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दशा में, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट आठ वर्ष की अवधि के ठीक बाद वाले वर्ष में ; या

(iii) खंड (ग) में निर्दिष्ट दशा में, उस वर्ष में जिसमें विक्रय या अंतरण हुआ था :

परंतु अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन इस प्रकार कराधेय आय, ऐसे आरक्षिति के सृजन के वर्ष में कर से प्रभार्य आनुपातिक टनभार कर आय से घटा दी जाएगी ।

40

(5) इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अनुसार टनभार कर आरक्षिति खाते में जमा की गई रकम, उपधारा (1) के अधीन जमा किए जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम रकम से कम है, वहां वह रकम, जिसका कुल सुसंगत पोट आय से वही अनुपात है जो आरक्षिति में जमा की कमी का उपधारा (1) के अधीन जमा किए जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आरक्षिति से है, टनभार कर स्कीम के अधीन कराधेय नहीं होगी और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कराधेय होगी।

45

(6) यदि उपधारा (1) के अधीन सृजित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षिति का, दो क्रमवर्ती पूर्ववर्षों के लिए सृजन नहीं किया गया है तो कंपनी का टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प उस दूसरे क्रमवर्ती पूर्ववर्ष के आगामी पूर्ववर्ष के प्रारंभ से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन आरक्षिति का सृजन करने में असफलता हुई थी, प्रभावी नहीं रह जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “नया पोट” में ऐसा अर्हक पोट सम्मिलित है जिसका अर्हक कंपनी द्वारा अर्जन की तारीख से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यदि वह ऐसे अर्जन की तारीख से पूर्व किसी समय भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं था, उपयोग किया जा रहा था ।

50

टनभार कर कंपनी के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा ।

115फप. (1) टनभार कर कंपनी, धारा 115फत की उपधारा (3) के अधीन उसके विकल्प का अनुमोदन किए जाने के पश्चात्, पोट परिवहन महानिदेशक द्वारा विरचित और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षु अधिकारियों के संबंध में न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन करेगी ।

55

(2) टनभार कर कंपनी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह धारा 139 के अधीन आय की विवरणी के साथ पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी किए गए इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करे कि ऐसी कंपनी ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन किया है, ।

5 (3) यदि न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का किन्हीं पांच क्रमवर्ती पूर्ववर्षों के लिए अनुपालन नहीं किया जाता है तो टनभार कर स्कीम के लिए कंपनी का विकल्प उस पांचवें क्रमवर्ती पूर्ववर्ष के, जिसमें उपधारा (1) के अधीन न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा के अनुपालन में असफलता हुई थी, आगामी पूर्ववर्ष के प्रारंभ से प्रभावी नहीं रह जाएगा ।

115फफ. (1) ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसने टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग किया है, किसी पूर्ववर्ष के टनभार भाड़े पर लेने के दौरान उसके द्वारा प्रचालित अर्हक पोतों के शुद्ध टनभार का उनचास प्रतिशत से अनधिक भाड़े पर लिया जाएगा ।

10 (2) किसी पूर्ववर्ष के संबंध में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुद्ध टनभार, का अनुपात उस पूर्ववर्ष के दौरान शुद्ध टनभार के औसत के आधार पर संगणित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, शुद्ध टनभार का औसत, निम्नलिखित रीति से संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) टनभार कर कंपनी के स्वामित्वाधीन प्रत्येक अर्हक पोत का शुद्ध टनभार, जो पूर्ववर्ष के अंतिम दिन के अंत में हो, संकलित किया जाएगा ; और

(ख) इस प्रकार प्राप्त राशि को, कंपनी के स्वामित्वाधीन अर्हक पोतों की संख्या द्वारा विभाजित किया जाएगा ।

15 (4) जहां भाड़े पर लिए गए नए पोतों का शुद्ध टनभार, किसी पूर्ववर्ष के दौरान उपधारा (1) के अधीन परिसीमा से अधिक हो जाता है, वहां ऐसी कंपनी की, उस पूर्ववर्ष के संबंध में, कुल आय इस प्रकार संगणित की जाएगी, मानो उस पूर्ववर्ष के लिए टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का कोई प्रभाव नहीं था ।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन परिसीमा, किन्हीं दो क्रमवर्ती पूर्ववर्षों में अधिक हो जाती है, वहां टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प उस दूसरे क्रमवर्ती पूर्ववर्ष के, जिसमें परिसीमा अधिक हो गई थी, आगामी पूर्ववर्ष के प्रारंभ से प्रभावी नहीं रहेगा।

20 **स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजन के लिए, “भाड़े पर लिया गया” पद से अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण निबंधनों पर कंपनी द्वारा भाड़े पर लिया गया पोत अपवर्जित किया जाएगा ।

115फव. किसी टनभार कर कंपनी द्वारा टनभार कर स्कीम के लिए किसी विकल्प का, किसी पूर्ववर्ष के संबंध में तब तक प्रभाव लेखाओं का रखा जाना नहीं होगा, जब तक ऐसी कंपनी,— और लेखापरीक्षा ।

(i) अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार के संबंध में पृथक् लेखा बहियां नहीं रखती है ; और

25 (ii) उस पूर्ववर्ष की आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में लेखापाल की, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित, रिपोर्ट नहीं देती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “लेखापाल” का वही अर्थ है, जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में है ।

115फभ. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

टनभार का अवधारण ।

30 (क) किसी पोत का टनभार, उसके टनभार को उपदर्शित करने वाले किसी विधिमान्य प्रमाणपत्र के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(ख) “विधिमान्य प्रमाणपत्र” से अभिप्रेत है,—

(i) भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों की दशा में,—

1958 का 44

35 (अ) जिनकी लंबाई चौबीस मीटर से कम है, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन बनाए गए वाणिज्यिक पोत परिवहन (पोत का टनभार माप) नियम, 1987 के अधीन जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र ;

1958 का 44

(आ) जिनकी लंबाई चौबीस मीटर या उससे अधिक है, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन बनाए गए वाणिज्यिक पोत (पोत का टनभार माप) नियम, 1987 में यथाविनिर्दिष्ट पोत टनभार माप कन्वेंशन, 1969 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया कोई अंतरराष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र ;

1958 का 44

40 (ii) भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत पोतों की दशा में, उस ध्वज राज्य प्रशासन द्वारा, जहां पोत रजिस्ट्रीकृत है, जारी किए गए टनभार प्रमाणपत्र के आधार पर शुद्ध टनभार विनिर्दिष्ट करते हुए, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 या धारा 407 के अधीन, पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति या पोत को भाड़े पर लेने के लिए अनुज्ञा मांगते समय पोत के स्वामी द्वारा प्रस्तुत पोत परिवहन महानिदेशक को स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य ।

ड — पोत परिवहन कंपनियों का समामेलन और निर्विलयन

45 115फम. जहां किसी कंपनी का अन्य कंपनी या कंपनियों के साथ समामेलन हो गया है, वहां इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन समामेलन रहते हुए, टनभार कर स्कीम से संबंधित उपबंध यथासाध्य समामेलित कंपनी को, यदि वह एक अर्हक कंपनी है, लागू होंगे :

परंतु जहां समामेलित कंपनी कोई टनभार कर कंपनी नहीं है, वहां वह समामेलन की स्कीम के अनुमोदन की तारीख से तीन मास के भीतर धारा 115फत की उपधारा (1) के अधीन टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग करेगी :

50 परंतु यह और कि जहां समामेलक कंपनियां टनभार कर कंपनियां हैं, वहां इस अध्याय के उपबंध, यथासाध्य समामेलित कंपनियों को ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे, जिसमें टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प, जिसकी सबसे लंबी अनवसित अवधि है, प्रवृत्त बना रहता है :

परंतु यह भी कि जहां समामेलक कंपनियों में से कोई एक कंपनी 1 अक्टूबर, 2004 से अर्हक कंपनी है और जिसने प्रारंभिक अवधि के भीतर टनभार स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, वहां इस अध्याय के उपबंध समामेलित कंपनी को लागू नहीं

होंगे और समामेलित कंपनी की उस आय को, जो अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से हो, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित किया जाएगा ।

निर्विलयन ।

115फय. जहां किसी निर्विलयन स्कीम में, निर्विलीन कंपनी अपने कारबार का, टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प की समाप्ति से पूर्व परिणामी कंपनी को अंतरण करती है वहां इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, टनभार कर स्कीम, यथासाध्य, अनवसित अवधि के लिए परिणामी कंपनी को, यदि यह कोई अर्हक कंपनी है, लागू होगी :

5

परंतु यह कि निर्विलयन कंपनी के संबंध में टनभार कर स्कीम का विकल्प, टनभार कर स्कीम की अनवसित अवधि के लिए यदि वह अर्हक कंपनी बनी रहती है तो प्रवृत्त बना रहेगा ।

च—प्रकीर्ण

अर्हक पोतों के अस्थायी तौर पर प्रचालन में न रहने का प्रभाव ।

115फयक. (1) किसी कंपनी द्वारा किसी अर्हक पोत के अस्थायी तौर पर प्रचालन में न रहने को (स्थायी तौर पर प्रचालन में न रहने के विपरीत) ऐसे अर्हक पोत के प्रचालन के बंद होने के रूप में नहीं समझा जाएगा और कंपनी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ऐसे अर्हक पोत का प्रचालन कर रही है ।

10

(2) जहां कोई अर्हक कंपनी ऐसे पोत का प्रचालन करती रहती है जो अस्थायी रूप से अर्हक पोत नहीं रह गया है, वहां ऐसे पोत को इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अर्हक पोत नहीं समझा जाएगा ।

छ—इस अध्याय के उपबंधों का कतिपय मामलों में लागू न होना

कर का परिवर्तन ।

115फयख. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, टनभार कर स्कीम वहां लागू नहीं होगी जहां कोई टनभार कर कंपनी किसी ऐसे संव्यवहार या ठहराव में कोई पक्षकार है जो टनभार स्कीम के दुरुपयोग की कोटि में आता है ।

15

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी संव्यवहार या ठहराव को दुरुपयोग समझा जाएगा, यदि ऐसे संव्यवहार या ठहराव को करने या लागू करने के परिणामस्वरूप यदि यह धारा न होती तो यह परिणाम होता कि जिससे,—

(i) किसी टनभार कर कंपनी से भिन्न किसी कंपनी ; या

(ii) गैर टनभार कर क्रियाकलापों के संबंध में किसी टनभार कर कंपनी,—

20

के लिए कर में फायदा प्राप्त होता ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “कर फायदा” में निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(i) यथास्थिति, किसी व्यय या हित के लिए मोक का अवधारण अथवा किसी लागत या आबंटित या प्रभाजित व्यय का अवधारण, जिसका प्रभाव, ऐसे पूर्ववर्ष के संबंध में, जिसमें संव्यवहार किया गया था, लेखाबहियों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर संगणित कर से प्रभार्य टनभार कर क्रियाकलापों से भिन्न क्रियाकलापों से, यथास्थिति, आय में कमी करना या हानि में वृद्धि करना है ; या

25

(ii) कोई ऐसा संव्यवहार या ठहराव, जो टनभार कर कंपनी को सामान्य लाभों से, जिनके टनभार कर क्रियाकलापों से उद्भूत होने की आशा है, अधिक लाभ देता है ।

टनभार कर स्कीम से अपवर्जन ।

115फयग. (1) जहां कोई टनभार कर कंपनी धारा 115फयख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार या ठहराव में कोई पक्षकार है, वहां निर्धारण अधिकारी किसी लिखित आदेश द्वारा ऐसी कंपनी को टनभार कर स्कीम से अपवर्जित करेगा :

30

परंतु यह कि निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी कंपनी को, ऐसी सूचना की तामील करके जिसमें उससे सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी कि उसे टनभार कर स्कीम से क्यों नहीं अपवर्जित किया जाए, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश मुख्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के उपबंध, वहां लागू नहीं होंगे, जहां कंपनी निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित करती है कि संव्यवहार या ठहराव सद्भाविक वाणिज्यिक संव्यवहार था और इस अध्याय के अधीन कर फायदा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं किया गया था ।

35

(3) जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा टनभार कर कंपनी को टनभार कर स्कीम से अपवर्जित करते हुए उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित कर दिया गया है, वहां टनभार कर स्कीम का विकल्प उस पूर्ववर्ष की, जिसमें संव्यवहार या ठहराव किया गया था, पहली अप्रैल से प्रवृत्त नहीं रह जाएगा ।

40

धारा 139 का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में, “जिसके स्रोत पर काटे जाने” शब्दों के स्थान पर, “जिसके 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व स्रोत पर काटे जाने” शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2005 से, रखे जाएंगे ।

धारा 139क का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 139क में,—

(क) उपधारा (5क) में, 1 अप्रैल, 2005 से, पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (5ग) और उपधारा (5घ) में, “क्रेता” शब्द के स्थान पर, “क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार” शब्द 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ।

45

नई धारा 142क का अंतःस्थापन ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 142 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 15 नवम्बर, 1972 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्राक्कलन ।

‘142क. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, जहां धारा 69 या धारा 69ख में निर्दिष्ट किसी विनिधान के मूल्य या धारा 69क या धारा 69ख में निर्दिष्ट किसी सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु के मूल्य का कोई प्राक्कलन किया जाना अपेक्षित है, वहां निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से ऐसे मूल्य का प्राक्कलन करने और रिपोर्ट देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

50

1957 का 27

(2) ऐसे मूल्यांकन अधिकारी को, जिसे उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, ऐसे निर्देश के संबंध में कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए, वे सभी शक्तियां होंगी जो उसे धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 38क के अधीन हैं।

(3) मूल्यांकन अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा निर्धारण या पुनःनिर्धारण करते समय ऐसी रिपोर्ट को हिसाब में ले सकेगा :

- 5 परंतु इस धारा की कोई बात, 30 सितंबर, 2004 को या उससे पूर्व किसी निर्धारण के संबंध में और जहां ऐसा निर्धारण उस तारीख से पूर्व अंतिम और निश्चयक हो गया है, लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, “मूल्यांकन अधिकारी” का वही अर्थ है, जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (द) में है।

1957 का 27

32. आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण में, 1 अक्टूबर, 2004 से,—

- 10 (क) खंड (v) में, “प्राप्त किया जाना है” शब्दों के स्थान पर, “प्राप्त किया जाना है; या” शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 153 का संशोधन।

(ख) खंड (v) के पश्चात्, “समाप्त होने वाली कालावधि” शब्दों के पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

- 15 “(vi) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको धारा 245द की उपधारा (3) के अधीन आवेदन को खारिज करने वाला आदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि ; या

(vii) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको धारा 245द की उपधारा (7) के अधीन उसके द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय, आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि,।”

33. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, 1 अक्टूबर, 2004 से,—

धारा 153ख का संशोधन।

- 20 (क) खंड (iv) में, “प्राप्त किया जाना है” शब्दों के स्थान पर, “प्राप्त किया जाना है; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (iv) के पश्चात्, और “अपवर्जित की जाएगी:” शब्दों से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(v) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको धारा 245द की उपधारा (3) के अधीन आवेदन को खारिज करने वाला आदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि ; या

- 25 (vi) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको धारा 245द की उपधारा (7) के अधीन उसके द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय, आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि,।”

34. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (3) के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अक्टूबर, 2004 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 194ग का संशोधन।

- 30 “(i) यथास्थिति, किसी ऐसी राशि की रकम से, जो टेकेदार या उप टेकेदार के खाते में जमा की गई है या उसको संदत्त की गई है या जिसके जमा किए जाने या संदत्त किए जाने की संभावना है, यदि ऐसी राशि बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होती है :

परंतु जहां ऐसी राशि की रकमों का योग, जो टेकेदार या उप टेकेदार के खाते में जमा की गई है या उसको संदत्त की गई है या जिसके जमा किए जाने या संदत्त किए जाने की संभावना है, वित्तीय वर्ष के दौरान पचास हजार रुपए से अधिक होता है तो, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसी राशियों का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती करने के दायित्वाधीन होगा।”।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अक्टूबर, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 194ठक का अंतःस्थापन।

- 40 “194ठक. कोई व्यक्ति, जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन मद्दे प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल या वर्धित प्रतिफल के रूप में किसी राशि का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि का नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करते समय उस पर आय-कर के रूप में उस राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा :

कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय।

परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान किसी निवासी को, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- 45 (i) “कृषि भूमि” से भारत में कृषि भूमि अभिप्रेत है जिसमें धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) और मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में अवस्थित भूमि सम्मिलित है ;

(ii) “स्थावर संपत्ति” से कोई भूमि (कृषि भूमि से भिन्न) या कोई भवन या किसी भवन का भाग अभिप्रेत है।”।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में, “धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 197 का संशोधन। धारा 194ञ, धारा 194ट” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ट, धारा 194ठक” शब्द, अंक और अक्षर, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 198 में, “धारा 192 से” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “और धारा 196घ के उपबंधों” शब्दों, अंक धारा 198 का संशोधन। और अक्षर पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे।

- धारा 199 का संशोधन। **38. आय-कर अधिनियम की धारा 199 में,—**
- (क) उपधारा (1) में, “धारा 192” शब्द और अंकों से प्रारंभ होने वाले और “धारा 196घ के उपबंधों” पर समाप्त होने वाले शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, अंत में, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “(3) जहां कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार की जाती है और केंद्रीय सरकार को संदत्त की जाती है, वहां कटौती किए गए और धारा 203कक में निर्दिष्ट विवरण में विनिर्दिष्ट कर की रकम, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की ओर से संदत्त किए गए कर के रूप में मानी जाएगी और इस अधिनियम के अधीन किए गए निर्धारण में इस प्रकार कटौती की गई रकम के लिए, उसे उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके लिए ऐसी आय निर्धारणीय है, प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना, मुजरा दिया जाएगा।”।
- धारा 200 का संशोधन। **39. आय-कर अधिनियम की धारा 200 में,—**
- (क) उपधारा (1) में, “धारा 192” शब्द और अंकों से प्रारंभ होने वाले और “धारा 196घ के उपबंधों” पर समाप्त होने वाले शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “(3) यथास्थिति, कोई व्यक्ति, जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है या कोई व्यक्ति जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, केंद्रीय सरकार के खाते में कटौती किए गए कर का संदाय करने के पश्चात्, विहित समय के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण तैयार करेगा और ऐसा विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा।”।
- धारा 202 का संशोधन। **40. आय-कर अधिनियम की धारा 202 में, “धारा 192” शब्द और अंकों से प्रारंभ होने वाले और “धारा 196घ के” पर समाप्त होने वाले शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ।**
- धारा 203 का संशोधन। **41. आय-कर अधिनियम की धारा 203 में,—**
- (क) उपधारा (1) में, “जो धारा 192 से” शब्दों और अंकों से प्रारंभ होने वाले और “धारा 196घ के उपबंधों” पर समाप्त होने वाले शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ;
- (ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- “(3) जहां कर की कटौती, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार की गई है, या उसे संदत्त किया गया है वहां, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।”।
- धारा 203क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
- कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक। **42. आय-कर अधिनियम की धारा 203क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा, 1 अक्टूबर, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात् :—**
- ‘203क. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती या कर का संग्रहण करता है, जिसे, यथास्थिति, कर कटौती लेखा संख्यांक या कर संग्रहण लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, निर्धारण अधिकारी को, “कर कटौती और कर संग्रहण लेखा संख्यांक” के आबंटन के लिए आवेदन करेगा ।
- (2) जहां, यथास्थिति, “कर कटौती लेखा संख्यांक” या “कर संग्रहण लेखा संख्यांक” या “कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक” किसी व्यक्ति को दिया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति—
- (क) धारा 200 या धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार किसी राशि के संदाय के लिए सभी चालानों में ;
- (ख) धारा 203 या धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में ;
- (ग) धारा 206 या धारा 206ग की उपधारा (5क) या उपधारा (5ख) के अनुसार किसी आय-कर प्राधिकारी को परिदत्त सभी विवरणियों में ; और
- (घ) ऐसे संव्यवहारों से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों में, जो राजस्व के हित में विहित किए जाएं, उस संख्यांक का हवाला देगा।”।
- नई धारा 203कक का अंतःस्थापन ।
- कटौती किए गए कर, आदि का विवरण दिया जाना । **43. आय-कर अधिनियम की धारा 203क के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2005 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—**
- “203कक. विहित आय-कर प्राधिकारी या धारा 200 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर विहित प्ररूप में, इस प्रकार कटौती की गई और संदत्त कर की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए एक विवरण तैयार करेगा और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे आय-कर की कटौती की गई है या जिसकी बाबत आय-कर का संदाय किया गया है, परिदत्त करेगा।”।
- धारा 204 का संशोधन। **44. आय-कर अधिनियम की धारा 204 में, “धारा 192 से” शब्दों और अंकों से प्रारंभ होने वाले और “और धारा 203 तक” पर समाप्त होने वाले शब्दों और अंकों के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ।**
- धारा 205 का संशोधन। **45. आय-कर अधिनियम की धारा 205 में, “धारा 192 से” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “धारा 196घ के” शब्दों, अंकों और अक्षर पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, “इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के” शब्द, 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे ।**
- धारा 206 का संशोधन। **46. आय-कर अधिनियम की धारा 206 में,—**
- (क) उपधारा (1) में, 1 अक्टूबर, 2004 से,—
- (i) “विहित आय-कर प्राधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अभिकरण, जो विहित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु बोर्ड, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो, इस उपधारा में निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण के पास ऐसी विवरणी फाइल करने के प्रयोजनों के लिए कोई स्कीम बना सकेगा।”;

(ख) उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2005 से,—

5 (i) “(प्रत्येक कंपनी की दशा में, प्रधान अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति)” कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, “(सरकार के प्रत्येक कार्यालय की दशा में, विहित व्यक्ति और प्रत्येक कंपनी की दशा में, प्रधान अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति)” कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

10 “परंतु इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी सरकार के प्रत्येक कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति और हर कम्पनी की दशा में प्रधान अधिकारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर, उक्त स्कीम के अधीन कम्प्यूटर माध्यम पर ऐसी विवरणियां परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।”।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,—

धारा 206ग का संशोधन।

(क) उपधारा (1ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्टूबर 2004 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

15 ‘(1ग) प्रत्येक व्यक्ति, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार कहा गया है) किसी पार्किंग स्थान या पथकर स्थान या खान या खदान में कारबार के प्रयोजन के लिए ऐसे पार्किंग स्थान या पथकर स्थान या खान या खदान के उपयोग के लिए पट्टा या अनुज्ञप्ति देता है या कोई संविदा करता है या अन्यथा किसी अधिकार या हित का, चाहे पूर्णतः या भागतः, अन्तरण करता है, वह उसमें अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा संदेय रकम को अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते में विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से नकद रूप में या कोई चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से प्राप्त करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की ऐसी किसी अनुज्ञप्ति, संविदा या पट्टे के अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से, ऐसी रकम के उतने प्रतिशत के बराबर राशि, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, आय-कर के रूप में संगृहीत करेगा:

सारणी

क्रम सं०	संविदा या अनुज्ञप्ति या पट्टे आदि की प्रकृति	प्रतिशतता
25 (1)	(2)	(3)
(i)	पार्किंग स्थान	दो प्रतिशत
(ii)	पथकर स्थान	दो प्रतिशत
(iii)	खान या खदान	दो प्रतिशत

30 (ख) उपधारा (2) में, “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, “या उपधारा (1ग)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अक्टूबर, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, “या उपधारा (1ग)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अक्टूबर, 2004 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

35 “परंतु इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कर का संग्रहण करने वाला व्यक्ति संगृहीत किए गए कर का, केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने के पश्चात्, विहित समय के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण तैयार करेगा और ऐसे विवरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी शीति से सत्यापित रूप में और ऐसी विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।”;

40 (घ) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

45 “परंतु जहां कोई रकम 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगृहीत और उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है, वहां संगृहीत और उपधारा (5) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट विवरण में विनिर्दिष्ट कर की रकम उस व्यक्ति की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी, जिससे रकम संगृहीत की गई है और इस अधिनियम के अधीन किए गए निर्धारण में इस प्रकार संगृहीत रकम के लिए उसे उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके लिए ऐसी आय निर्धारणीय है, प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए बिना उसको मुजरा दिया जाएगा।”;

(ङ) उपधारा (5) में,—

(i) “क्रेता” शब्द के स्थान पर, “क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार” शब्द, 1 अक्टूबर 2004 से रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

50 “परंतु ऐसे मामले में, जहां कर इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् संगृहीत किया गया है, प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकेगा :

परंतु यह और कि विहित आय-कर प्राधिकारी या उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर, संगृहीत किए गए कर की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो

विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में एक विवरण तैयार करेगा और, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1ग) में निर्दिष्ट क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार को परिदत्त कराएगा।”;

(च) उपधारा (5क) में, 1 अक्टूबर, 2004 से,—

(i) “प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए अर्धवार्षिक विवरणियां तैयार करेगा” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर अर्धवार्षिक विवरणियां तैयार करेगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “विहित आय-कर प्राधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अभिकरण, जो विहित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु बोर्ड, यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो, इस उपधारा में निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण के पास ऐसी विवरणियां फाइल करने के प्रयोजनों के लिए कोई स्कीम बना सकेगा।”;

(छ) उपधारा (5ख) और उपधारा (5ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं, 1 अप्रैल, 2005 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(5ख) उपधारा (5क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामले से भिन्न किसी मामले में, जहां विक्रेता कोई कंपनी, केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार है, कर संग्रहण करने वाला कोई व्यक्ति, अपने विकल्प पर, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय पर या उसके पूर्व किसी फ्लायी, डिस्क्रेट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् “कंप्यूटर माध्यम” कहा गया है) और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या कराएगा :

परंतु जहां कर की कटौती करने वाला व्यक्ति, कोई कंपनी या केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार है, वहां ऐसा व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कंप्यूटर माध्यम पर ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

(5ग) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कंप्यूटर माध्यम पर फाइल की गई कोई विवरणी उपधारा (5क) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए विवरणी समझी जाएगी और उसके अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों में मूल को पेश करने के अतिरिक्त सबूत के बिना, मूल की किसी अंतर्वस्तु के या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी।

(5घ) जहां निर्धारण अधिकारी यह समझता है कि उपधारा (5ख) के अधीन परिदत्त की गई या परिदत्त कराई गई विवरणी त्रुटिपूर्ण है, वहां वह कर का संग्रहण करने वाले व्यक्ति को उस त्रुटि के बारे में सूचित कर सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर निर्धारण अधिकारी अपने विवेकाधिकार से अनुज्ञात करे, त्रुटि की परिशुद्धि करने का उसे अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, पन्द्रह दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात की गई और अवधि के भीतर त्रुटि की परिशुद्धि नहीं की जाती है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी विवरणी को अधिमान्य विवरणी माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरणी देने में असफल रहा हो।”;

(ज) उपधारा (9) में, 1 अक्टूबर, 2004 से,—

(i) “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, “या उपधारा (1ग)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “क्रेता”, शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है, “क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 206गक का संशोधन। 48. आय-कर अधिनियम की धारा 206गक में, 1 अक्टूबर, 2004 से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“परंतु इस धारा के उपबंध 1 अक्टूबर, 2004 को या उसके पश्चात् लागू होंगे।”।

धारा 245द का संशोधन। 49. आय-कर अधिनियम की धारा 245द में, “धारा 245द की उपधारा (1) के अधीन” शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठक के स्थान पर, “धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और 1 अक्टूबर, 1998 से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 246क का संशोधन। 50. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) के खंड (क) में “निर्धारिती के विरुद्ध कोई आदेश” शब्दों के स्थान पर, “धारा 115फत की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश या निर्धारिती के विरुद्ध कोई आदेश” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे।

धारा 253 का संशोधन। 51. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात्, अंत में, निम्नलिखित खंड 1 अक्टूबर, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) धारा 115फयग की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश।”।

नई धारा 271चक का अंतःस्थापन। 52. आय-कर अधिनियम की धारा 271च के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2005 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
“271चक. यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 285खक की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वार्षिक सूचना विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, उस उपधारा के अधीन विहित समय के भीतर ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, तो उक्त उपधारा के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 272क की उपधारा (2) में, परन्तु के पश्चात् निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 272क का संशोधन।
- “(ट) धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परन्तु में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण की प्रति परिदत्त करने या परिदत्त कराने में,”।
- 5 54. आय-कर अधिनियम की धारा 272ख की उपधारा (2) में, “उपधारा (5क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर के पश्चात्, “या उपधारा (5ग)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किए जाएंगे। धारा 272ख का संशोधन।
55. आय-कर अधिनियम की धारा 272खख की उपधारा (1) में, “अनुपालन करने में असफल रहता है” शब्दों के स्थान पर, “1 अक्टूबर, 2004 के पूर्व अनुपालन करने में असफल रहता है” अंक और शब्द 1 अक्टूबर, 2004 से रखे जाएंगे। धारा 272खख का संशोधन।
56. आय-कर अधिनियम की धारा 277 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अक्टूबर, 2004 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 277क का अंतःस्थापन।
- 10 “277क. यदि कोई व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में प्रथम व्यक्ति कहा गया है) जानबूझकर और किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में द्वितीय व्यक्ति कहा गया है) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य और अधिरोपणीय किसी कर या ब्याज या शास्ति का अपवंचन करने में समर्थ बनाने के आशय से किसी लेखाबही या इस अधिनियम के अधीन प्रथम व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में सुसंगत या उपयोगी अन्य दस्तावेज में ऐसी कोई प्रविष्टि या कथन करता है या कराता है, जो मिथ्या है और जिसके बारे में प्रथम व्यक्ति यह जानता है कि वह मिथ्या है या वह विश्वास नहीं करता है कि वह सत्य है, वहां प्रथम व्यक्ति ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा। लेखा बहियों या दस्तावेज आदि का मिथ्याकरण।
- 15 **स्पष्टीकरण**—इस धारा के अधीन किसी आरोप में किसी विशिष्ट उदाहरण या कर की राशि, शास्ति या ब्याज को, जिसका उस द्वितीय व्यक्ति द्वारा अपवंचन किया गया है या किया गया होता, विनिर्दिष्ट किए बिना, द्वितीय व्यक्ति को किसी कर, शास्ति या ब्याज का अपवंचन करने में समर्थ बनाने वाले सामान्य आशय को अभिकथित करना पर्याप्त होगा।”।
- 20 57. आय-कर अधिनियम की धारा 278ख में उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित उपधारा 1 अक्टूबर, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 278ख का संशोधन।
- “ (3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी है, किया गया है और ऐसे अपराध के लिए दंड कारावास और जुर्माना है, तो, उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कंपनी जुर्माने से दंडित की जाएगी और उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।”।
- 25 58. आय-कर अधिनियम की धारा 285खक के स्थान पर निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2005 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 285खक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
- ‘285खक. (1) कोई व्यक्ति, जो—
 (क) कोई निर्धारिती है ; या
 (ख) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति है ; या
 (ग) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है ; या
 (घ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार है ; या
 (ङ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्टर करने के लिए सशक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है ; या
 (च) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ज) में यथानिर्दिष्ट महाडाकपाल है ; या
 (छ) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कलक्टर है ; या
 (ज) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज है ; या
 (झ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है ; या
 (ञ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट कोई निक्षेपागार है,
- 40 जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट विभिन्न वित्तीय संव्यवहार को रजिस्टर करने या उसका अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी है या 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति के साथ कोई विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार करता है, वह ऐसे विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा रजिस्टर किए गए हैं या अभिलिखित किए गए हैं या किए गए हैं और जिससे संबंधित जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और अपेक्षित है, एक ऐसी वार्षिक सूचना विवरणी विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।
- 45 (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सूचना विवरणी, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, (जिसके अंतर्गत कोई फ्लायी, डिस्कैट, मैगनेटिक कार्ट्रिज, टेप, सीडी रोम या किसी कंप्यूटर पठनीय माध्यम भी है) उस पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर, प्रस्तुत की जाएगी।
- 50 (3) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार” के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—
 (क) माल या संपत्ति या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के क्रय, विक्रय या विनिमय का कोई संव्यवहार ; या
 (ख) ऐसी कोई सेवा, जो विहित की जाए, देने के लिए कोई संव्यवहार ; या

- (ग) किसी संकर्म संविदा के अधीन कोई संव्यवहार ; या
 (घ) किए गए किसी विनिधान या उपगत किसी व्यय के रूप में कोई संव्यवहार ; या
 (ङ) कोई ऋण या निक्षेप लेने या प्राप्त करने के लिए कोई संव्यवहार,

जहां किसी पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट ऐसे संव्यवहार या संव्यवहारों का, यथास्थिति, मूल्य या कुल मूल्य पचास हजार रुपए से या ऐसे अन्य उच्चतर मूल्यों से, जो विहित किया जाए, अधिक हो जाता है : 5

परंतु बोर्ड, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संव्यवहार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ञ) में निर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के लिए, खंड (क) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के भिन्न-भिन्न मूल्य विहित कर सकेगा ।

(4) जहां, विहित आय-कर प्राधिकारी यह समझता है कि उपधारा (1) के अधीन दी गई वार्षिक सूचना विवरणी त्रुटिपूर्ण है, वहां वह ऐसी विवरणी को देने वाले उस व्यक्ति को, जो ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है, त्रुटि की सूचना दे सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर, विहित आय-कर प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से अनुज्ञात करे, उसे त्रुटि की परिशुद्धि करने का अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, एक मास की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात की गई और अवधि के भीतर त्रुटि की परिशुद्धि नहीं की जाती तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी विवरणी को अविधिमान्य विवरणी माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा था । 10 15

(5) जहां, किसी व्यक्ति ने, जिससे उपधारा (1) के अधीन वार्षिक सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, उसे विहित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया है वहां विहित आय-कर प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति पर एक सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें ऐसी सूचना की तामील की तारीख से साठ दिन से अनधिक की अवधि के भीतर उससे ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी और वह, सूचना में विनिर्दिष्ट विहित समय के भीतर वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करेगा ।” 20

तेरहवीं अनुसूची का संशोधन ।

59. आय-कर अधिनियम की तेरहवीं अनुसूची में, 1 अप्रैल, 2005 से,—

(क) “[धारा 80झग (2) देखिए]” कोष्ठक, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “[धारा 80झख (4) और धारा 80झग (2) देखिए]” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) भाग ख के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“भाग ग

जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए

क्रम सं०	वस्तु या चीज
1.	तंबाकू के सिगरेट/सिगार, विनिर्मित तंबाकू और उसके अनुकल्प
2.	आसवित/निक्वाथित एल्कोहाली पेय
3.	वातित ब्रांडयुक्त सुपेय और उनके सान्द्र ।”।

30

5

10

15

20

25

30

धन-कर

1957 के अधिनियम 60. धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 35जक में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्टूबर, 2004 से 27 की धारा 35जक अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— का संशोधन।

“(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी है, किया गया है और ऐसा अपराध कारावास और जुर्माने से दंडनीय है, तो, उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कंपनी जुर्माने से दंडित की जाएगी और उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी बना रहेगा।”।

5

10

15

20

25

30

35

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

40

सीमाशुल्क

धारा 41 का संशोधन।

61. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 41 की उपधारा (1) में, परंतुक का लोप किया जाएगा।

1962 का 52

धारा 129क का संशोधन।

62. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क में उस तारीख से जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

45

“(6) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी और उसका सत्यापन ऐसी रीति से किया जाएगा जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और शुल्क और ब्याज की मांग की या उस शास्ति के उद्ग्रहण की, जिसके संबंध में अपील की गई है, तारीख का विचार किए बिना, उसके साथ,—

(क) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपए या उससे कम है, वहां एक हजार रुपए की फीस होगी ;

50

(ख) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपए से अधिक है किंतु पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां पांच हजार रुपए की फीस होगी;

(ग) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पचास लाख रुपए से अधिक है, वहां दस हजार रुपए की फीस होगी :

5 परंतु उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपील या उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन की दशा में, ऐसी कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

(7) अपील अधिकरण के समक्ष, किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ,—

(क) रोके जाने की मंजूरी के लिए या भूल की परिशुद्धि के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अपील की दशा में, या

10 (ख) किसी अपील अथवा किसी आवेदन के प्रत्यावर्तन के लिए, पांच सौ रुपए की फीस होगी ।”।

63. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 137 में. उपधारा (2) के पश्चात् के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, धारा 137 का संशोधन। अर्थात् :—

15 “(3) इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का, कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात्, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति अपराधों का प्रशमन द्वारा ऐसी प्रशमन रकम का, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय सरकार को संदाय करने पर मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा ।”।

64. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (2) में खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, धारा 156 का संशोधन। अर्थात् :—

“(ज) धारा 137 की उपधारा (3) के अधीन प्रशमन के लिए संदत्त की जाने वाली रकम ।”।

20 65. (1) राजपत्र में सा.का.नि. 393(अ), तारीख 30 जून, 2004 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 83/2004-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 30 जून, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) सौ प्रतिशत निर्यात-मुख्य उपक्रमों के प्रयोजनों के लिए 11 मई, 1982 से ही भूतलक्षी रूप से सभी प्रयोजनों के लिए प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और सदैव से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्ली या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई कतिपय कार्यवाहियों का विधिमन्यकरण ।

25 (क) सौ प्रतिशत निर्यात-मुख्य उपक्रमों के संबंध में सीमाशुल्क अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सीमाशुल्क अधिकारी के रूप में उक्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा 11 मई, 1982 से ही 30 जून, 2004 तक की गई कोई कार्यवाई या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए, विधिमन्य रूप से की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो अधिसूचना द्वारा की गई नियुक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में थीं ;

30 (ख) कोई वाद या अन्य कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या उक्त अधिसूचना द्वारा सीमाशुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के विरुद्ध, जो 11 मई, 1982 से ही 30 जून, 2004 तक की अवधि के दौरान सौ प्रतिशत निर्यात-मुख्य उपक्रमों के संबंध में सीमाशुल्क अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सद्भाविक रूप से की गई हो, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष संस्थित नहीं की जाएगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएगी, मानो अधिसूचना द्वारा की गई नियुक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में थी ;

35 (ग) उक्त अधिसूचना द्वारा सीमाशुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के, 11 मई, 1982 से ही 30 जून, 2004 तक की अवधि के दौरान, आदेश या निदेश द्वारा या उसके अधीन शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की किसी रकम की, की गई वसूली विधिमन्य समझी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए सदैव विधिमन्य और प्रभावी रूप में की गई समझी जाएगी मानो उक्त अधिसूचना द्वारा की गई नियुक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में थी ।

40 (2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने की इस प्रकार शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसको सदैव ऐसी शक्ति थी, मानो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से प्रवर्तन में लाने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर थी ।

1962 का 52

1995 का 22

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वित्त अधिनियम, 1995 के प्रारंभ से पूर्व यथाविद्यमान सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के पदनाम उक्त वित्त अधिनियम की धारा 50 और धारा 70 के नीचे क्रमशः सारणियों में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्रतिस्थापित पदनाम समझे जाएंगे ।

45 **स्पष्टीकरण 1**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि उक्त अधिसूचना 11 मई, 1982 से ही भूतलक्षी रूप से प्रवर्तन में न आई होती ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “सौ प्रतिशत निर्यात-मुख्य उपक्रम” का वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के खंड (ख) के परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में है ।

1944 का 1

50

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

66. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 9क की उपधारा (8) में, “उद्ग्रहण न किए जाने, कम उद्ग्रहण, प्रतिदाय और अपीलों से संबंधित” शब्दों के स्थान पर, “शुल्क की दर के अवधारण के लिए तारीख, उद्ग्रहण न किए जाने, कम उद्ग्रहण, प्रतिदाय, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से संबंधित” शब्द रखे जाएंगे ।

55 67. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ग में, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1अ) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील के साथ, पन्द्रह हजार रुपए की फीस होगी ।

(1आ) अपील अधिकरण के समक्ष, किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ,—

website: <http://indiabudget.nic.in>

(क) उपधारा (1) के अधीन रोके जाने की मंजूरी के लिए या, भूल की परिशुद्धि के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अपील की दशा में ; या

(ख) किसी अपील अथवा किसी आवेदन के प्रत्यावर्तन के लिए,

पांच सौ रुपए की फीस होगी ।”।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

68. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

5

(i) अध्याय 11 में, टैरिफ मद 1108 12 00, 1108 14 00, 1108 19 10 और 1108 19 90 में, स्तंभ (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर प्रत्येक के सामने “50%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) अध्याय 19 में, टैरिफ मद 1903 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “50%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) अध्याय 29 में, टैरिफ मद 2922 42 20 में स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर “- मोनोसोडियम ग्लूटामेट” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

10

(iv) अध्याय 35 में, टैरिफ मद 3505 10 10 और 3505 10 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रत्येक के सामने “50%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

उत्पाद-शुल्क

- धारा 9क का संशोधन। 69. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 9क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 15
- “(2) इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का, कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात्, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी प्रशमन रकम का, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को संदाय करने पर मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा।”।
- धारा 11 का संशोधन। 70. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11 में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 20
- “परंतु जहां ऐसा व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् पूर्ववर्ती कहा गया है) जिससे शुल्क या किसी प्रकार की कोई अन्य राशि जो इस धारा में विनिर्दिष्ट है, वसूलनीय या शोध्य है अपने कारबार या व्यवसाय को पूर्णतः या भागतः अंतरित करता है या अन्यथा उसका व्ययन करता है या उसके स्वामित्व में ऐसा कोई परिवर्तन करता है जिसके परिणामस्वरूप उस कारबार या व्यवसाय में उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य व्यक्ति हो जाता है वहां इस प्रकार उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अभिरक्षा या कब्जे में के सभी उत्पाद-शुल्क्य माल, सामग्री, निर्मितियां, संयंत्र, मशीनरी, जलयान, बर्तन, औजार और वस्तुएं भी कुर्क की जा सकेंगी और ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा सशक्त किया गया हो, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त से लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसे अंतरण या अन्यथा व्ययन या परिवर्तन के समय ऐसे पूर्ववर्ती से वसूलीय या शोध्य ऐसे शुल्क या अन्य राशियों की वसूली करने के प्रयोजनों के लिए, विक्रीत की जा सकेंगी।”। 25
- नई धारा 33क का अंतःस्थापन। न्यायनिर्णयन प्रक्रिया। 71. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 33 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 30
- “33क. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, इस अध्याय या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी कार्यवाही में, कार्यवाही के किसी पक्षकार को, यदि पक्षकार ऐसी वांछा करे तो सुनवाई का अवसर देगा।
- (2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो, समय-समय पर, पक्षकारों या उनमें से किसी को समय प्रदान कर सकेगा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से सुनवाई को स्थगित कर सकेगा :
- परंतु कोई ऐसा स्थगन कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक मंजूर नहीं किया जाएगा।”। 35
- धारा 35 का संशोधन। 72. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 40
- “(1क) आयुक्त (अपील), यदि किसी अपील की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो समय-समय पर पक्षकारों या उनमें से किसी को समय प्रदान कर सकेगा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा :
- परंतु कोई ऐसा स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा।”। 45
- धारा 35ख का संशोधन। 73. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ख की उपधारा (6) के स्थान पर उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—
- “(6) अपील अधिकरण को कोई अपील विहित प्ररूप में की जाएगी और उसका सत्यापन विहित रीति से किया जाएगा और शुल्क और ब्याज की मांग की या शास्ति के उद्ग्रहण की, जिसके संबंध में अपील की गई है, तारीख पर विचार किए बिना, उसके साथ,— 45
- (क) जहां किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपए या उससे कम है, वहां एक हजार रुपए की ;
- (ख) जहां किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपए से अधिक है किंतु पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां पांच हजार रुपए की;
- (ग) जहां किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पचास लाख रुपए से अधिक है, वहां दस हजार रुपए की, 50
- फीस होगी :
- परंतु उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपील या उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन की दशा में, ऐसी कोई फीस संदेय नहीं होगी।

(7) अपील अधिकरण के समक्ष, किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ,—

(क) रोके जाने की मंजूरी या भूल की परिशुद्धि या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपील में ; या

(ख) किसी अपील या किसी आवेदन के प्रत्यावर्तन के लिए,

पांच सौ रूपए की फीस होगी ।”।

- 5 74. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35G की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, धारा 35G का संशोधन।
अर्थात् :—

“(1अ) अपील अधिकरण, यदि किसी अपील की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो समय-समय पर पक्षकारों या उनमें से किसी को समय प्रदान कर सकेगा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा :

- 10 परंतु कोई ऐसा स्थगन किसी पक्षकार को अपील की सुनवाई के दौरान तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा ।”।

75. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) में,—

धारा 37 का संशोधन।

(क) खंड (iग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iघ) धारा 9क (2) के अधीन प्रशमन रकम के लिए उपबंध करना ।” ;

(ख) खंड (xvिक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

- 15 “(xvिकक) उत्पाद-शुल्क माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त कराधेय सेवाओं पर संदत या संदत समझे गए वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा-कर के प्रत्यय के लिए उपबंध करना ।”।

1994 का 32

76. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में क्रम सं. 91 के सामने, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि में, “; मोनोक्रोम से तीसरी अनुसूची का भिन्न,” शब्दों का लोप किया जाएगा । संशोधन ।

77. (1) भारत सरकार के तत्कालीन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 32/2002-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 17 सितंबर, 2002, जिसे राजपत्र में सा.का.नि. 655 (अ), तारीख 17 सितंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् पहला संशोधन कहा गया है), और भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय और कंपनी कार्य विभाग (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 13 जनवरी, 2003, जिसे राजपत्र में सा.का.नि. 27(अ), तारीख 13 जनवरी, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् दूसरा संशोधन कहा गया है), द्वारा संशोधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 38/2001-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 26 जून, 2001, जिसे राजपत्र में सा.का.नि. 467 (अ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिसूचना कहा गया है), को सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी रूप से 11 मई, 1982 से ही प्रवृत्त समझा जाएगा और सभी प्रयोजनों के लिए सदैव प्रवृत्त रहा समझा जाएगा, तथा तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिब्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा की गई कतिपय कार्रवाइयों का विधि-मान्यकरण ।

- 30 (क) मूल अधिसूचना में पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा, सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के संबंध में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की शक्तियों से विनिहित, सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा 11 मई, 1982 से ही 13 जनवरी, 2003 तक की गई कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए, विधिमान्य रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो मूल अधिसूचना में पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा इस प्रकार किया गया शक्तियों का विनिधान सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ;

- 35 (ख) कोई वाद या अन्य कार्यवाही केंद्रीय सरकार या मूल अधिसूचना में पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की शक्तियों से विनिहित सीमाशुल्क अधिकारी के विरुद्ध, 11 मई, 1982 से ही 13 जनवरी, 2003 तक की अवधि के दौरान, सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के संबंध में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सद्भाविक रूप से की गई किसी कार्रवाई या किसी बात के लिए, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष स्थिति नहीं की जाएगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएगी मानो मूल अधिसूचना में पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा किया गया शक्तियों का विनिधान सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ;

- 40 (ग) मूल अधिसूचना में पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की शक्तियों से विनिहित सीमा-शुल्क अधिकारी के, 11 मई, 1982 से ही 13 जनवरी, 2003 तक की अवधि के दौरान आदेश या निदेश द्वारा या उसके अधीन शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की किसी रकम की, की गई वसूली विधिमान्य समझी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए सदैव इस प्रकार विधिमान्य रूप में और प्रभावी रूप में की गई समझी जाएगी, मानो मूल अधिसूचना में पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा किया गया शक्तियों का विनिधान सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

- 45 (2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को, मूल अधिसूचना पहले संशोधन और दूसरे संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रवृत्त करने की शक्तियां होंगी और यह समझा जाएगा कि उसको सदैव ऐसी शक्तियां थीं मानो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन मूल अधिसूचना, पहले संशोधन और दूसरे संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रवर्तन में लाने की सभी शक्तियां सभी तात्त्विक समयों पर थीं ।

1944 का 1

1995 का 22

- 50 (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वित्त अधिनियम, 1995 के प्रारंभ से पूर्व यथाविद्यमान सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के पदनाम, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 50 और धारा 70 के नीचे सारणियों में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः तत्स्थानी प्रतिस्थापित पदनाम समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से की गई कोई कार्रवाई या लोप किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि पहले संशोधन और दूसरे संशोधन द्वारा यथासंशोधित मूल अधिसूचना भूतलक्षी रूप से प्रवर्तन में नहीं आई होती ।

- 55 **स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम” का वही अर्थ है, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के खंड (ख) के परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में है ।

1944 का 1

केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 का संशोधन ।

78. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 के उपनियम (6) के खंड (ख) का स्पष्टीकरण, दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रीति में भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएगा और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित तत्स्थानी तारीख से ही संशोधित किया गया समझा जाएगा और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उक्त स्पष्टीकरण के अधीन की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात या की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात, सभी प्रयोजनों के लिए, विधिमाम्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो इस उपधारा द्वारा यथा संशोधित उक्त स्पष्टीकरण सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा था ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसको शक्ति है मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

(3) केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल), अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय सभी ऐसे अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को अनुज्ञात किया जाएगा जो अननुज्ञात किया गया था किंतु वह तब अननुज्ञात न किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा होता ।

(4) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के सभी ऐसे केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की वसूली की जाएगी जिसका उपभोग कर लिया गया है, किंतु जिसका उपभोग तब न किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा होता और केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की ब्याज सहित वसूली से संबंधित केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के उपबंध इस उपधारा के अधीन की गई वसूली के लिए इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क में परिभाषित सुसंगत तारीख, इस उपधारा के अधीन वसूली के प्रयोजनों के लिए वह तारीख समझी जाएगी जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया ऐसा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का वही अर्थ है जो केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 में है ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 के अधिनियम 5 की पहली अनुसूची का संशोधन ।

79. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में,—

(i) अध्याय 50 में उपशीर्ष सं. 5004.11, 5004.90, 5005.10, 5005.20 और 5005.90 में, स्तंभ (4) में का प्रविष्टि स्थान पर, के प्रत्येक के सामने क्रमशः “8%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) अनुभाग 15 के टिप्पण 9 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘10. इस अनुभाग के उत्पादों के संबंध में किसी छड़, तार या किसी अन्य समान वस्तु को तार में कर्षण या पुनःकर्षण करने की प्रक्रिया, “विनिर्माण” की कोटि में आएगी ।’

(iii) अध्याय 90 में, उपशीर्ष सं. 9001.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “8%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) अध्याय 95 में, उपशीर्ष सं. 9504.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “8%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

5

10

15

20

25

30

अध्याय 5

सेवा-कर

35

1994 के अधिनियम 80. वित्त अधिनियम, 1994 में,—
32 का संशोधन ।

(क) धारा 65 में,—

(i) खंड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(3क) “वायुयान” का वही अर्थ है जो वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (1) में उसका है ;

1934 का 22

(3ख) “वायुयान प्रचालक” से ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो वायुयान द्वारा माल के परिवहन की सेवा प्रदान करता है ;

40

(3ग) “विमानपत्तन” का वही अर्थ है जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है ;

1994 का 55

(3घ) “विमानपत्तन प्राधिकरण” से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी प्राइवेट विमानपत्तन या सिविल एन्कलेव के प्रबंध का भारसाधक कोई व्यक्ति भी है ; ;

1994 का 55

45

(ii) खंड (12) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(12) “बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं” से,—

(क) किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक समुत्थान भी है, द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित सेवाएं अभिप्रेत हैं, अर्थात् :—

50

(i) वित्तीय पट्टा सेवाएं, जिनके अंतर्गत उपस्कर पट्टे पर देना और अवक्रय करना भी है ;

(ii) क्रेडिट कार्ड सेवाएं ;

(iii) वाणिज्यिक बैंककारी सेवाएं ;

(iv) प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा (फौरेक्स) दलाली ;

(v) आस्ति प्रबंधन, जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रबंधन, सभी प्रकार के निधि प्रबंधन, पेंशन निधि प्रबंधन, अभिरक्षा संबंधी, निक्षेपागार और न्यास सेवाएं भी हैं, किंतु इसके अंतर्गत रोकड़ प्रबंधन नहीं है ;

5 (vi) सलाहकार और अन्य सहायक वित्तीय सेवाएं, जिनके अंतर्गत विनिधान और पोर्टफोलियो अनुसंधान तथा सलाह, विलयन और अर्जन पर सलाह तथा निगमित पुनःसंरचना और युक्ति पर सलाह भी है ;

(vii) सूचना और डाटा प्रसंस्करण का उपबंध और अंतरण ; और

10 (viii) कोई अन्य वित्तीय सेवा, अर्थात् उधार देना, संदाय आदेश, मांगदेय ड्राफ्ट, चेक, प्रत्यय-पत्र और विनिमय पत्र जारी करना, बैंक गारंटी देना, अधि ड्राफ्ट सुविधा, बिल डिस्काउंटर, सुरक्षित निक्षेप लाकर, सेफवाल्ड, बैंक खातों का प्रचालन ;

(ख) किसी विदेशी मुद्रा दलाल, उससे भिन्न, जो उपखंड (क) के अंतर्गत आते हैं, द्वारा उपलब्ध कराई गई विदेशी मुद्रा दलाली ; ;

(iii) खंड (19) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(19) “कारबार सहायक सेवा” से निम्नलिखित से संबंधित कोई सेवा अभिप्रेत है—

15 (i) कक्षीकार द्वारा उत्पादित या उपलब्ध कराए गए अथवा उसके माल का संवर्धन या विपणन या विक्रय ; या

(ii) कक्षीकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा का संवर्धन या विपणन ; या

(iii) कक्षीकार की ओर से उपलब्ध कराई गई कोई ग्राहक देखभाल सेवा ; या

(iv) ऐसे माल या सेवाओं का उपापन, जो कक्षीकार के लिए निवेश हैं ; या

(v) कक्षीकार की ओर से ऐसे माल का उत्पादन ; या

20 (vi) कक्षीकार की ओर से सेवा का उपबंध ; या

(vii) कोई सेवा, जो उपखंड (i) से उपखंड (vi) में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप की आनुषंगिक या सहायक है, जैसे बिल बनाना, चेकों का जारी किया जाना या संग्रहण या वसूली, संदाय, लेखाओं का रखा जाना और प्रेषण, सूची प्रबंधन, भावी ग्राहक या विक्रेता का मूल्यांकन या विकास, लोक संपर्क सेवाएं, प्रबंधन या पर्यवेक्षण,

और इसके अंतर्गत कमीशन अभिकर्ता के रूप में सेवाएं भी हैं, किंतु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी की सेवा या ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (च) के अर्थान्तर्गत “विनिर्माण” की कोटि में आता है ।

1944 का 1

25 और इसके अंतर्गत कमीशन अभिकर्ता के रूप में सेवाएं भी हैं, किंतु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी की सेवा या ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (च) के अर्थान्तर्गत “विनिर्माण” की कोटि में आता है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “सूचना प्रौद्योगिकी सेवा” से कंप्यूटर साफ्टवेयर की अभिकल्पना, उसके विकास या अनुरक्षण या कंप्यूटरीकृत डाटा प्रसंस्करण या प्रणाली नेटवर्किंग से संबंधित कोई सेवा या मुख्य रूप से कंप्यूटर प्रणाली के प्रचालन के संबंध में कोई अन्य सेवा अभिप्रेत है ;

30

(19क) “कारबार प्रदर्शन” से किसी उत्पाद या सेवा का,—

(क) बाजार में ; या

(ख) संवर्धन के लिए ; या

(ग) विज्ञापन में ; या

35

(घ) प्रदर्शन केस में,

प्रदर्शन अभिप्रेत है, जो, यथास्थिति, ऐसे उत्पाद या सेवा के उत्पादक या प्रदायकर्ता के कारबार में वृद्धि के लिए आशयित है ; ;

(iv) खंड (24) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1994 का 55

‘(24क) “सिविल एन्कलेव” का वही अर्थ है जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (i) में उसका है ; ;

40

(v) खंड (28) का लोप किया जाएगा ;

(vi) खंड (29) में, “चालू करने या प्रतिष्ठापित करने से संबंधित” शब्दों के स्थान पर, “खड़ी करने, चालू करने या प्रतिष्ठापित करने से संबंधित” शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) खंड (30) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(30क) “सन्निर्माण सेवा” से,—

45

(क) नए भवन या सिविल संरचना या उसके किसी भाग का सन्निर्माण ; या

(ख) भवन या सिविल संरचना की मरम्मत, परिवर्तन या पुनःस्थापन या उनके संबंध में समान सेवाएं,

अभिप्रेत हैं, जो, वाणिज्य या उद्योग या वाणिज्य और उद्योग के लिए आशयित कार्य के लिए,—

(i) मुख्य रूप से उपयोग की जाती हैं, या उपयोग की जानी हैं ; या

(ii) उनके संबंध में जिनका अधिभोग किया जाता है या अधिभोग किया जाना है ; या

50

(iii) मुख्य रूप से उन्हें उसमें नियोजित किया जाता है या किया जाना है,

किंतु इसके अंतर्गत सड़क, विमानपत्तन, रेल, परिवहन टर्मिनल, पुल, सुरंग, लंबी दूरी की पाइपलाइन और बांध नहीं हैं ; ;

(viii) खंड (39) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(39क) “खड़ी करना, चालू करना या प्रतिष्ठापित करना” से संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर के खड़े करने, चालू करने या प्रतिष्ठापित करने के संबंध में किसी चालू करने और प्रतिष्ठापित करने वाले अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है ;’;

(ix) खंड (46) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(46क) “अग्रिम संविदा” का वही अर्थ है, जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ग) में 5 1952 का 74 उसका है ;’;

(x) खंड (50) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(50क) “माल वाहन” का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (14) में उसका है ; 1988 का 59

(50ख) “माल अभिवहन अभिकरण” से ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जो सड़क द्वारा माल का परिवहन करने से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराता है और परेषण पत्र जारी करता है ;’; 10

(xi) खंड (55) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(55क) “बौद्धिक संपदा अधिकार” से अमूर्त संपत्ति अर्थात् व्यापार चिह्न, डिजाइन, पेटेंट या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अन्य समान अमूर्त संपत्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई प्रतिलिप्यधिकार नहीं है ;

(55ख) “बौद्धिक संपदा सेवा” से अभिप्रेत है किसी बौद्धिक संपदा अधिकार का,—

(क) अंतरण करना, चाहे स्थायी रूप से या अन्यथा ; या 15

(ख) उसके प्रयोग अथवा उपभोग की अनुज्ञा देना ;’;

(xii) खंड (75) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(75क) “मत सर्वेक्षण” से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य मुद्दों के संबंध में जनता के विचारों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित कोई सेवा अभिप्रेत है ;

(75ख) “मत सर्वेक्षण अभिकरण” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो मत सर्वेक्षण से संबंधित कोई सेवा उपलब्ध कराने 20 में लगा हुआ है ;’;

(xiii) खंड (76) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(76क) “बाह्य खान-पान प्रबंधक” से ऐसा खान-पान प्रबंधक अभिप्रेत है जो अपने स्वयं के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर खान-पान प्रबंधन के संबंध में सेवाएं उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;’;

(xiv) खंड (77) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— 25

‘(77क) “पंडाल या शामियाना” से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो सरकारी, सामाजिक या कारबार समारोह को आयोजित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है या उसकी व्यवस्था की गई है ;

(77ख) “पंडाल या शामियाना ठेकेदार” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पंडाल या शामियाने को, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः तैयार करने, उसकी व्यवस्था, परिनिर्माण या परिसज्जा करने के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराने में, जिसके अंतर्गत फर्नीचर, फिक्सचर, प्रकाश और प्रकाश फिटिंगों, फर्श, बिछावन और उसमें प्रयोग के लिए अन्य वस्तुओं का प्रदाय 30 करना है, लगा हुआ है ;’;

(xv) खंड (86) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(86क) “कार्यक्रम” से कोई ऐसा श्रव्य या दृश्य, विषय अभिप्रेत है, जो सीधे प्रसारण द्वारा या रिकार्ड किया हुआ, जो अंतरिक्ष या केबल की मार्फत विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रेषण द्वारा प्रसारण के लिए आशयित है, जो पुनःप्रसारण केन्द्रों के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः साधारण जनता द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए आशयित है ; 35

(86ख) “कार्यक्रम निर्माता” से कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो अन्य व्यक्ति की ओर से कोई कार्यक्रम तैयार करता है ;’;

(xvi) खंड (89) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(89क) “मान्यताप्राप्त संगम” का वही अर्थ है जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा (2) के खंड 1952 का 74 (ज) में है ; 40

(89ख) “रजिस्ट्रीकृत संगम” का वही अर्थ है जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा (2) के खंड 1952 का 74 (जज) में है ;’;

(xvii) खंड (101) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(101) “स्टाक दलाल” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 1992 का 15 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार, यथास्थिति, स्टाक दलाल या उप दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;’;

(xviii) खंड (103) का लोप किया जाएगा ;

(xix) खंड (104) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(104क) “खनिज का सर्वेक्षण और खोज” से खनिज, तेल या गैस के भंडारों की अवस्थिति या पूर्वोक्षण के संबंध में भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकी या अन्य पूर्वोक्षण, सतह या भीतरी सतह के सर्वेक्षण या नक्शा तैयार करने संबंधी सेवा 50 अभिप्रेत है ;’;

(xx) खंड (105) में,—

(क) उपखंड (क) में, “किसी विनिधानकर्ता को” शब्दों के स्थान पर, “किसी व्यक्ति को” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (छ) में, “इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में शाखा” शब्दों के पश्चात्, “किन्तु कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी या कंप्यूटर साफ्टवेयर इंजीनियरी की विद्या शाखा में नहीं,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपखंड (यठ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

5 (यठ) किसी ग्राहक को बैंककारी या अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था द्वारा, जिसके अंतर्गत कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक समुत्थान भी है ; ;

(घ) उपखंड (यत) का लोप किया जाएगा ;

(ङ) उपखंड (यध) में “किसी ग्राहक को, केबल सेवाओं के संबंध में, केबल आपरेटर द्वारा” शब्दों के स्थान पर, “किसी व्यक्ति को, केबल सेवाओं के संबंध में, केबल आपरेटर, जिसके अंतर्गत बहुप्रणाली आपरेटर भी है, द्वारा” शब्द रखे जाएंगे ;

10 (च) उपखंड (यभ) में, “जीवन बीमा कारबार के संबंध में” शब्दों के स्थान पर, “जीवन बीमा में जोखिम सुरक्षा के संबंध में” शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपखंड (ययघ) में, “चालू करने या संस्थापन” शब्दों के स्थान पर, “खड़ा करने, चालू करने या संस्थापन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) उपखंड (ययठ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

15 “(ययड) किसी व्यक्ति को, किसी विमानपत्तन या सिविल एन्कलेव में, विमानपत्तन प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ययढ) किसी व्यक्ति को, वायुयान द्वारा माल के परिवहन के संबंध में, किसी वायुयान प्रचालक द्वारा ;

(ययण) किसी प्रदर्शक को, कारबार प्रदर्शनी के संबंध में कारबार प्रदर्शनी के आयोजक द्वारा ;

(ययत) किसी ग्राहक को, किसी मालवाहक गाड़ी में सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अभिकरण द्वारा ;

20 (ययथ) किसी व्यक्ति को, सन्निर्माण सेवा के संबंध में, किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा ;

(ययद) किसी व्यक्ति को, बौद्धिक संपदा सेवा के संबंध में, बौद्धिक संपदा अधिकार के धारक द्वारा ;

(ययध) किसी व्यक्ति को, मत सर्वेक्षण के संबंध में, मत सर्वेक्षण अभिकरण द्वारा ;

(ययन) किसी ग्राहक को किसी बाट्य खान-पान प्रबंधक द्वारा ;

(ययप) किसी व्यक्ति को किसी कार्यक्रम के संबंध में किसी कार्यक्रम निर्माता द्वारा ;

25 (ययफ) किसी ग्राहक को, खनिज के सर्वेक्षण और खोज के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ययब) किसी ग्राहक को किसी पंडाल या शामियाने के संबंध में किसी रीति से किसी पंडाल या शामियाना ठेकेदार द्वारा और जिसके अंतर्गत किसी खान-पान प्रबंधक द्वारा दी गई सेवाएं, यदि कोई हों, हैं ;

(ययभ) किसी ग्राहक को यात्रा मार्ग की बुकिंग के संबंध में किसी यात्रा अभिकर्ता द्वारा ;

30 (ययम) किसी व्यक्ति को, किसी अग्रिम संविदा के संबंध में किसी मान्यताप्राप्त संगम या किसी रजिस्ट्रीकृत संगम के किसी सदस्य द्वारा ; ;

(xxi) खंड (115) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

35 “(115) “पर्यटन प्रचालक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पर्यटन की योजना, सभ्य सूची बनाने, उसका आयोजन या इंतजाम करने के कारबार में (जिसमें वास सुविधा, दृश्य अवलोकन या अन्य वैसी ही सेवाओं के इंतजाम सम्मिलित हैं), किसी प्रकार के परिवहन द्वारा, लगा हुआ है, और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञापत्र के अंतर्गत किसी पर्यटक यान में पर्यटन का प्रचालन करने के कारबार में लगा हुआ है ;

“(115क) “यात्रा अभिकर्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो यात्रा के लिए मार्ग सुरक्षित कराने के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ; ;

(ख) धारा 66 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

40 “66. एक कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा-कर कहा गया है), धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (क), उपखंड (ख), सेवा कर का प्रमाण । उपखंड (ग), उपखंड (घ), उपखंड (ङ), उपखंड (च), उपखंड (छ), उपखंड (ज), उपखंड (झ), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (ठ), उपखंड (ड), उपखंड (ढ), उपखंड (ण), उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (म), उपखंड (य), उपखंड (यक), उपखंड (यख), उपखंड (यग), उपखंड (यघ), उपखंड (यङ), उपखंड (यच), उपखंड (यछ), उपखंड (यज), उपखंड (यझ), उपखंड (यञ), उपखंड (यट), उपखंड (यठ), उपखंड (यड), उपखंड (यढ), उपखंड (यण), उपखंड (यत), उपखंड (यथ), उपखंड (यद), उपखंड (यध), उपखंड (यन), उपखंड (यप), उपखंड (यफ), उपखंड (यब), उपखंड (यभ), उपखंड (यम), उपखंड (यय), उपखंड (ययक), उपखंड (ययख), उपखंड (ययग), उपखंड (ययघ), उपखंड (ययङ), उपखंड (ययच), उपखंड (ययज), उपखंड (ययड), उपखंड (ययठ), उपखंड (ययड), उपखंड (ययढ), उपखंड (ययण), उपखंड (ययत), उपखंड (ययथ), उपखंड (ययद), उपखंड (ययध), उपखंड (ययन), उपखंड (ययप), उपखंड (ययफ), उपखंड (ययब), उपखंड (ययभ) और उपखंड (ययम) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के दस प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाएगा !” ;

(ग) धारा 67 में,—

(क) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण । में,—

(i) खण्ड (vi) में, अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खण्ड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(vii) परिनिर्माण, संस्थापन या प्रतिष्ठापन सेवा उपलब्ध कराने के अनुक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत पुर्जों या अन्य सामग्री, यदि कोई हों, की लागत ; और

(viii) ऋणों पर ब्याज ।” ;

(ख) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2—जहां किसी प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल रकम में संदेय सेवा-कर सम्मिलित है, वहां कराधेय सेवा का मूल्य ऐसी रकम होगा जो कराधेय कर का योग प्रभारित सकल रकम के बराबर है ।” ;

(घ) धारा 71 और धारा 72 का लोप किया जाएगा ;

(ङ) धारा 73 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

‘73. (1) जहां कोई सेवा कर उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या भूलवश उसका प्रतिदाय किया गया है, वहां, यथास्थिति, सहायक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त सुसंगत तारीख से एक वर्ष के भीतर उस सेवा-कर से प्रभार्य व्यक्ति पर जिससे उद्ग्रहण नहीं किया गया है या जिसने संदाय नहीं किया है या जिससे कम उद्ग्रहण किया गया है या जिसने कम संदाय किया है या जिसे सेवा-कर का भूलवश प्रतिदाय किया गया है, उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए, सूचना की तामील करेगा :

परंतु जहां किसी सेवा कर का—

(क) कपट ; या

(ख) दुरभिसंधि ; या

(ग) जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन ; या

(घ) तथ्यों को छिपाने ; या

(ङ) सेवा-कर के संदाय से बचने के आशय से इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन,

के कारण ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या भूलवश प्रतिदाय किया गया है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष” शब्द रखे गए हों ।

स्पष्टीकरण—जहां सूचना की तामील पर किसी न्यायालय के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई है, वहां, यथास्थिति, एक वर्ष या पांच वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की संगणना करने में ऐसी रोक की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है, किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से शोध्य या भूलवश उसको प्रतिदाय किए गए सेवा-कर की रकम (जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी) अवधारित करेगा और तदुपरि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा ।

(3) जहां कोई सेवा-कर उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या भूलवश उसका प्रतिदाय किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जो सेवा-कर से प्रभार्य है, या जिसको सेवा-कर का भूलवश प्रतिदाय किया गया है, ऐसे प्रभार्य या भूलवश प्रतिदाय किए गए सेवा-कर की रकम का, अपने स्वयं के उसके अभिनिश्चय के आधार पर या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के उसके अभिनिश्चय के आधार पर, प्रभार्य या भूलवश प्रतिदाय किए गए ऐसे सेवा-कर के संबंध में उपधारा (1) के अधीन उस पर सूचना की तामील किए जाने के पूर्व, संदाय कर सकेगा और, यथास्थिति, सहायक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को, ऐसे संदाय की लिखित में सूचना देगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस प्रकार संदत्त प्रभार्य या भूलवश रकम के संबंध में उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा :

परंतु, यथास्थिति, सहायक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त कम संदाय किए गए या भूलवश प्रतिदाय किए गए सेवा-कर की राशि को, यदि कोई हो, अवधारित कर सकेगा, जो उसकी राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त नहीं की गई है और तब, यथास्थिति, सहायक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, ऐसी राशि की वसूली की इस धारा में विनिर्दिष्ट रीति में कार्यवाही करेगा और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट “एक वर्ष” की अवधि की संगणना संदाय की ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यदि यह उपधारा न होती तो धारा 75 के अधीन इस उपधारा के अधीन व्यक्ति द्वारा संदत्त रकम पर ब्याज संदेय होता और, यथास्थिति, सहायक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त, द्वारा अवधारित सेवा-कर के कम संदाय की राशि पर या सेवा-कर के भूलवश किए गए प्रतिदाय पर भी, यदि कोई हो, ब्याज संदेय होता ।

(4) उपधारा (3) की कोई बात, ऐसी दशा में लागू नहीं होगी जहां किसी सेवा कर का—

(क) कपट ; या

(ख) दुरभिसंधि ; या

(ग) जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन ; या

(घ) तथ्यों को छिपाने ; या

(ङ) सेवा-कर के संदाय से बचने के आशय से इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन,

के कारण सेवा-कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या भूलवश संदाय किया गया है ।

(5) उपधारा (3) के उपबंध, ऐसे किसी मामले को लागू नहीं होंगे जहां सेवा-कर 14 मई, 2003 से पूर्व संदेय हो गया था या संदत्त किया जाना चाहिए था ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “सुसंगत तारीख” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसी कराधेय सेवा की दशा में, जिसके संबंध में सेवा कर उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है,—

(क) जहां इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन एक नियतकालिक विवरणी, उस अवधि के दौरान जिससे उक्त विवरणी संबंधित है, संदत्त सेवा-कर की विशिष्टियां दर्शित करते हुए, निर्धारिती द्वारा फाइल की जानी है, वहां वह तारीख जिसको उक्त विवरणी इस प्रकार फाइल की गई है ;

5 (ख) जहां यथापूर्वोक्त कोई नियतकालिक विवरणी फाइल नहीं की गई है वहां, वह अंतिम तारीख, जिसको इन नियमों के अधीन विवरणी फाइल की जानी है ;

(ग) किसी अन्य दशा में वह तारीख, जिसको इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सेवा कर का संदाय किया जाना है ;

(ii) उस दशा में जहां सेवा-कर इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अनंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है, सेवा-कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् उसके समायोजन की तारीख ;

10 (iii) उस दशा में, जहां सेवा-कर से संबंधित किसी राशि का भूलवश प्रतिदाय किया जाता है, ऐसे प्रतिदाय की तारीख ;”;

(च) धारा 74 में,—

(i) उपधारा (4) में, “निर्धारण में वृद्धि करना या प्रतिदाय को घटाना या निर्धारिती के दायित्व को अन्यथा बढ़ाना है” शब्दों के स्थान पर, “निर्धारिती के दायित्व में वृद्धि करना या प्रतिदाय को घटाना है” शब्द रखे जाएंगे ;

15 (ii) उपधारा (6) में, “निर्धारण को घटाना है” शब्दों के स्थान पर, “निर्धारिती के दायित्व को घटाना है या प्रतिदाय में वृद्धि करना है” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (7) में, “निर्धारण” शब्द के स्थान पर, “निर्धारिती के दायित्व” शब्द रखे जाएंगे ;”;

(छ) धारा 75 में, “पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी दर से, जो दस प्रतिशत से कम न हो और छत्तीस प्रतिशत वार्षिक से अधिक न हो, जैसा कि तत्समय केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे” शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) धारा 75क का लोप किया जाएगा ;

20 (झ) धारा 76 में, “जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु दो सौ रुपए तक की हो सकेगी” शब्दों के स्थान पर, “जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ञ) धारा 77 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

25 “77. जो कोई इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों को भंग करेगा जिनके लिए इस अध्याय के अधीन कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है, तो वह ऐसी शास्ति का, जो एक हजार रुपए से अनधिक रकम तक की हो सकेगी, दायी होगा ।”;

(ट) धारा 78 में, “यदि, यथास्थिति,” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “अपवंचन करने का प्रयास किया है” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

30 “जहां किसी सेवा-कर का—

(क) कपट ; या

(ख) दुरभिसंधि ; या

(ग) जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन ; या

(घ) तथ्यों को छिपाने ; या

35 (ङ) सेवा कर के संदाय से बचने के आशय से इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन, के कारण उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या भूलवश प्रतिदाय किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जो धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन यथा अवधारित ऐसे सेवा-कर या भूलवश किए गए प्रतिदाय का संदाय करने के लिए दायी है और ऐसे सेवा कर और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, के अतिरिक्त जो उसके द्वारा संदेय है, ऐसी शास्ति का जो इस प्रकार उद्ग्रहीत न किए गए या संदाय न किए गए या कम उद्ग्रहीत किए गए या कम संदाय किए गए या भूलवश प्रतिदाय किए गए सेवा-कर की रकम से कम नहीं होगी किंतु जो उसके दुगुने से अधिक नहीं होगी, संदाय करने का भी दायी होगा”;

(ठ) धारा 79 का लोप किया जाएगा ;

(ड) धारा 80 में, “धारा 77, धारा 78 या धारा 79” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 77 या धारा 78” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

45 (ढ) धारा 81 का लोप किया जाएगा ;

(ण) धारा 85 की उपधारा (1) में, “धारा 71, धारा 72 या” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

(त) धारा 86 में, उस तारीख से जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

50 “(6) अपील अधिकरण को अपील विहित प्ररूप में की जाएगी और उसका सत्यापन विहित रीति से किया जाएगा और मांगे गए सेवा कर और ब्याज या शास्ति के उद्ग्रहण की, जिसके संबंध में अपील की गई है, तारीख पर विचार किए बिना, की गई अपील की दशा में उसके साथ,—

(क) जहां किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए सेवा-कर और ब्याज तथा उद्ग्रहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, वहां पांच लाख रुपए या उससे कम है वहां, एक हजार रुपए वगी फीस होगी;

55 (ख) जहां किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए सेवा-कर और ब्याज तथा उद्ग्रहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपए से अधिक है किंतु पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां पांच हजार रुपए की फीस होगी ;

(ग) जहां किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए सेवा-कर और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पचास लाख रुपए से अधिक है, वहां दस हजार रुपए की फीस होगी :

परंतु उपधारा (2) या उपधारा (2क) में निर्दिष्ट किसी अपील या उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन की दशा में, ऐसी कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

(6क) अपील अधिकरण के समक्ष, किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ,—

5

(क) रोके जाने की मंजूरी या भूल की परिशुद्धि या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपील की दशा में ; या

(ख) किसी अपील या किसी आवेदन के प्रत्यावर्तन के लिए,

पांच सौ रुपए की फीस होगी ।”।

(थ) धारा 94 की उपधारा (2) में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

‘(च) कराधेय सेवाओं के निर्यात का अवधारण करने के लिए उपबंध ;

10

(छ) कराधेय सेवाओं, जो भारत बाहर निर्यात की जाती है, पर सेवा-कर की छूट या संदत्त सेवा-कर की रिबेट देना ;

(ज) भारत के बाहर निर्यात की गई किसी कराधेय सेवा को उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किए गए माल पर उपभोग की गई सेवाओं पर संदत्त सेवा-कर या संदत्त शुल्क या संदत्त समझी गई शुल्क का रिबेट ;

(झ) कोई अन्य विषय जो इस अध्याय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या किया जा सकेगा ।’

(द) धारा 95 में उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

15

“(1ख) यदि वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 द्वारा इस अध्याय में निगमित किसी कराधेय सेवा के मूल्य के कार्यान्वयन या निर्धारण के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों से संगत राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु उस तारीख से जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 2004 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।”।

20

5

10

15

20

अध्याय 6

शिक्षा उपकर

- शिक्षा उपकर । **81.** (1) धारा 2 की उपधारा (11) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विश्वस्तरीय आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराने और उसे वित्तपोषित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, संघ के प्रयोजनों के लिए, शिक्षा उपकर के नाम से ज्ञात अधिभार उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा । 25
- (2) केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् धारा 2 की उपधारा (11) और इस अध्याय के अधीन उद्गृहीत शिक्षा उपकर की ऐसी धनराशि का, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, जो वह आवश्यक समझे, उपयोग कर सकेगी ।
- परिभाषा । **82.** उन शब्दों और पदों के, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ हैं जो, यथास्थिति उस अधिनियम या अध्याय में उनके हैं । 30 1944 का 1
1962 का 52
1994 का 32
- उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर । **83.** (1) धारा 81 के अधीन उद्गृहीत शिक्षा उपकर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो विनिर्मित या उत्पादित माल है, कुल उत्पाद-शुल्क के योग पर (जिसके अंतर्गत विशेष उत्पाद-शुल्क या कोई अन्य उत्पाद-शुल्क है, किन्तु इस उपधारा के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर नहीं है) परिकलित दो प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क (जिसे इस धारा में उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर कहा गया है) उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, जिसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है। 35 1944 का 1
- (2) उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य उत्पाद-शुल्कों के अतिरिक्त होगा । 1944 का 1
- (3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत शुल्कों के प्रतिदाय और छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उन नियमों के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं । 40 1944 का 1
- आयातित माल पर शिक्षा उपकर । **84.** (1) धारा 81 के अधीन उद्गृहीत शिक्षा उपकर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो भारत में आयातित माल है, उस कुल सीमाशुल्क के योग पर परिकलित दो प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क, (जिसे इस धारा में आयातित माल पर शिक्षा उपकर कहा गया है) उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, जैसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 45 1962 का 52

के अधीन केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य कोई राशि, सीमाशुल्क के अतिरिक्त और उसी रीति से उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, जैसे सीमाशुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

- 1975 का 51 (क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क ;
- 1975 का 51 5 (ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 में निर्दिष्ट प्रतिरोधी शुल्क ;
- 1975 का 51 (ग) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क ; और
- (घ) इस उपधारा के अधीन उद्ग्रहणीय आयातित माल पर उपकर ।
- 1962 का 52 (2) आयातित माल पर शिक्षा उपकर, उक्त सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य सीमाशुल्क के अतिरिक्त होगा ।
- 1962 का 52 10 (3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत शुल्कों के प्रतिदायों और छूटों तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय आयातित माल पर शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे, यथास्थिति, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या उन नियमों के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।
- 1994 का 32 15 85. (1) धारा 81 के अधीन उद्गृहीत शिक्षा उपकर ऐसी सभी सेवाओं की दशा में कराधेय सेवाएं, उस कर पर, जो वित्त अधिनियम, कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर ।
1994 की धारा 66 के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है, परिकलित दो प्रतिशत की दर से कर (इस अध्याय में जिसे कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर कहा गया है) उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।
- 1994 का 32 (2) कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर, वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर प्रभार्य कर के अतिरिक्त होगा ।
- 1994 का 32 20 (3) वित्त अधिनियम, 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत कर के प्रतिदायों और उससे छूटों तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे, यथास्थिति, वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 या उन नियमों के अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

5

10

15

20

अध्याय 7 प्रतिभूति संव्यवहार कर

- 25 **86.** (1) इस अध्याय का विस्तार संपूर्ण भारत पर है । विस्तार, प्रारंभ और लागू होना ।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
- (3) यह इस अध्याय के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों को लागू होगा ।
- 1961 का 43 **87.** इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।
- 30 (1) “अपील अधिकरण” से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;
- (2) “निर्धारण अधिकारी” से वह आय-कर अधिकारी या सहायक आय-कर आयुक्त या उप आय-कर आयुक्त या संयुक्त आय-कर आयुक्त या अपर आय-कर आयुक्त अभिप्रेत है, जो बोर्ड द्वारा इस अध्याय के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या उसे समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;
- 1963 का 54 (3) “बोर्ड” से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;
- 1956 का 4 **35** (4) “व्युत्पन्न” का वही अर्थ है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कक) में है ;
- 1956 का 4 (5) “सरकारी प्रतिभूति” का वही अर्थ है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ख) में है ;
- 1956 का 4 (6) “प्रतिभूति विकल्प करार” का वही अर्थ है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (घ) में है ;
- (7) “विकल्प प्रीमियम” से, “प्रतिभूति विकल्प” के क्रेता द्वारा ऐसे क्रय के समय संदेय प्रीमियम अभिप्रेत है ;
- 40 (8) “विहित” से इस अध्याय के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- 1956 का 4 (9) “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” का वही अर्थ है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में है ;
- 1956 का 4 (10) “प्रतिभूति” का वही अर्थ है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है ;
- 45 (11) “प्रतिभूति संव्यवहार कर” से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों पर उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;
- (12) “स्ट्राइक कीमत” से वह कीमत अभिप्रेत है, जिस पर प्रतिभूति करार विकल्प का ऐसे विकल्प की समाप्ति की तारीख पर प्रयोग किया जा सकता है ;
- (13) “कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार” से भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के क्रय के लिए किया गया कोई संव्यवहार अभिप्रेत है ;

(14) ऐसे शब्द और पद, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या आय-कर अधिनियम, 1961 या उनके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, यावत्शक्य प्रतिभूति संव्यवहार कर के संबंध में लागू होंगे।

1956 का 42
1961 का 43

प्रतिभूति संव्यवहार कर का प्रसार।

88. इस अध्याय के प्रारंभ से ही, किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के मूल्य के 0.15 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभारित किया जाएगा और ऐसा कर प्रतिभूति क्रेता द्वारा संदेय होगा। 5

कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों का मूल्य।

89. कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों का मूल्य—

(क) “प्रतिभूति विकल्प करार” से संबंधित कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की दशा में, तय पाई जाने वाली (स्ट्राइक) कीमत और ऐसे “प्रतिभूति विकल्प करार” के विकल्प प्रीमियम का योग होगा ;

(ख) “वायदे के सौदे” से संबंधित कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की दशा में, वह कीमत होगी, जिस पर ऐसे वायदे के सौदों का व्यापार किया जाता है ; और 10

(ग) किन्हीं अन्य कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की दशा में वह कीमत होगी, जिस पर ऐसी प्रतिभूतियों को क्रय किया जाता है।

प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण और वसूली।

90. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से, जो उस स्टाक एक्सचेंज में कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार करता है, धारा 85 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी कलेन्डर मास के दौरान संगृहीत प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रत्येक निर्धारिती द्वारा उक्त कलेन्डर मास के ठीक पश्चात्पूर्वी मास के सातवें दिन तक केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया जाएगा। 15

(3) कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसी असफलता के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में कर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना।

91. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज, (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय में “निर्धारिती” कहा गया है), हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर, उस स्टाक एक्सचेंज में उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध में, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी तैयार करेगा और निर्धारण अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को उसे परिदत्त करेगा या करवाएगा। 20

(2) जहां कोई निर्धारिती, विहित समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारिती को एक सूचना जारी कर सकेगा और उस पर उसकी तामील यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करे।

(3) कोई निर्धारिती, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर चुकने पर उसे उसमें किसी लोप या गलत कथन का पता लगता है तो वह, यथास्थिति, निर्धारण किए जाने के पूर्व किसी समय विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा। 25

निर्धारण।

92. (1) इस अध्याय के अधीन कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे निर्धारिती पर, जो मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज है, जिसने धारा 91 के अधीन विवरणी प्रस्तुत की है या जिस पर धारा 91 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है (चाहे कोई विवरणी की गई है या नहीं), किसी सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें उससे उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को, ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य, जिनकी निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने या कराने की अपेक्षा की जाएगी और समय-समय पर और सूचनाओं की तामील कर सकेगा जिससे उससे ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य की, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी। 30

(2) निर्धारण अधिकारी ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, जो उपधारा (1) के अधीन उसने प्राप्त किए हैं और किसी अन्य सुसंगत सामग्री को ध्यान में रखने के पश्चात्, जो उसने एकत्रित की हैं, लिखित में आदेश द्वारा सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों का मूल्य और ऐसे निर्धारण के आधार पर संदेय या प्रतिदेय प्रतिभूति संव्यवहार कर की रकम अवधारित करेगा : 35

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निर्धारण सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज, यदि उपधारा (2) के अधीन निर्धारण पर उसे कोई रकम प्रतिदत्त की जाती है तो ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संबंधित व्यक्ति को, जिससे ऐसी रकम संगृहीत की गई थी, उस रकम का प्रतिदाय करेगा। 40

भूल की परिशुद्धि।

93. (1) निर्धारण अधिकारी, अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि करने की दृष्टि से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें वह आदेश जिसमें संशोधन किया जाना चाहा गया था, पारित किया गया था एक वर्ष के भीतर संशोधित कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित अपील के रूप में किसी कार्यवाही में किसी मामले पर विचार किया गया है और उसका विनिश्चय किया गया है, वहां ऐसा आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस मामले से, जिस पर इस प्रकार विचार किया गया है और जिसे विनिश्चित किया गया है, भिन्न किसी मामले के संबंध में उस उपधारा के अधीन आदेश का संशोधन कर सकेगा। 45

(3) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी,—

(क) स्वप्रेरणा से उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन कर सकेगा ; या

(ख) यदि निर्धारिती द्वारा उसकी जानकारी में कोई भूल लाई जाती है तो ऐसा संशोधन कर सकेगा। 50

(4) कोई संशोधन, जिसका प्रभाव किसी निर्धारण को बढ़ाना या किसी प्रतिदाय को कम करना या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाना है, इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित निर्धारण अधिकारी ने मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज को ऐसा करने के अपने आशय की निर्धारिती को सूचना नहीं दे दी हो और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मंजूर कर दिया हो।

(5) जहां इस धारा के अधीन कोई संशोधन किया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई आदेश लिखित में पारित किया जाएगा।

(6) इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को कम करना है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा कोई प्रतिदाय करेगा, जो उस निर्धारिती को देय हो।

(7) जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को बढ़ाना या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करना है, वहां निर्धारण अधिकारी 5 मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा और इस अध्याय के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

94. ऐसा प्रत्येक निर्धारिती, जो धारा 90 के अधीन यथा अपेक्षित प्रतिभूति संव्यवहार कर या उसके किसी भाग को उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहता है, प्रत्येक उस मास या मास के भाग के लिए, जिस तक कर या उसके किसी भाग के ऐसे जमा करने में विलंब किया गया है, ऐसे कर के एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा।

95. कोई निर्धारिती, जो,—

10 (क) संपूर्ण प्रतिभूति संव्यवहार कर या उसके किसी भाग का धारा 70 के अधीन यथा अपेक्षा संग्रहण करने में असफल रहता है; (ख) प्रतिभूति संव्यवहार कर संगृहीत कर होने पर ऐसे कर की उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहता है,—

15 (i) खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार कर का या धारा 94 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का, यदि कोई हो, संदाय करने के अतिरिक्त, शास्ति के रूप में प्रतिभूति संव्यवहार कर की उस रकम के, जिसका संग्रहण करने में वह असफल हुआ था, बराबर राशि का संदाय करने के लिए देखा होगा ;

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर का और धारा 94 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का संदाय करने के अतिरिक्त, शास्ति के रूप में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा तथापि इस खंड के अधीन शास्ति उस प्रतिभूति संव्यवहार कर की रकम से अधिक नहीं होगी, जिसका संदाय करने में वह असफल रहा था।

20 96. यदि कोई निर्धारिती सम्यक् समय में ऐसी विवरणी, जिसकी धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन दी गई सूचना द्वारा दिए जाने की उससे अपेक्षा की गई है, देने में असफल रहता है तो वह शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रुपए की राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा।

97. यदि निर्धारण अधिकारी का, इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुप्रक्रम में यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा संदेय किसी प्रतिभूति संव्यवहार कर और ब्याज के अतिरिक्त, यदि कोई है, शास्ति के रूप में ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा।

98. धारा 95 या, धारा 96 या धारा 97 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपबंधों में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि निर्धारिती यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था : परंतु इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्धारिती को 30 सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

99. आय-कर अधिनियम, 1961 की निम्नलिखित धाराओं के उपबंध, जो समय-समय पर प्रवृत्त हों, जहां तक हो सके, प्रतिभूति संव्यवहार कर के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे किसी आय-कर के संबंध में लागू होते हैं :—

धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 156, धारा 178, धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232, धारा 260क, धारा 261 से धारा 262, धारा 265 से धारा 269, धारा 278ख, धारा 282 और धारा 288 से धारा 293।

35 100. (1) धारा 92, के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्धारण आदेश से या इस अध्याय के अधीन निर्धारित किए जाने के अपने दायित्व से इन्कार करने वाले धारा 93 के अधीन किसी आदेश से या इस अध्याय के अधीन शास्ति के उद्ग्रहण के किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और विहित रीति से सत्यापित की जाएगी और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी।

1961 का 43

(3) जहां कोई अपील उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 249 से 251 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे।

101. (1) आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा धारा 100 के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

45 (2) आय-कर आयुक्त, यदि वह धारा 100 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश पर आक्षेप करता है तो निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, यथास्थिति, निर्धारिती या आय-कर आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी।

50 (4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और विहित रीति से सत्यापित की जाएगी और उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील की दशा में उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी।

1961 का 43

(5) जहां कोई अपील उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई है वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 से 255 के उपबंध यावत्शक्य लागू होंगे।

102. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में ऐसा कथन करेगा या ऐसा लेखा या कथन परित्त करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का वह विश्वास करता है या जिसके सही होने का विश्वास नहीं करता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

1974 का 2

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई अपराध, उस संहिता के अर्थान्तर्गत असंज्ञेय समझा जाएगा।

कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना ।

103. किसी व्यक्ति के विरुद्ध, धारा 102 के अधीन किसी अपराध के लिए, मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

104. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय, जिसके भीतर विवरणी निर्धारण अधिकारी को या किसी अन्य अभिकरण को परिदत्ता की जाएगी या कराई जाएगी और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें ऐसी विवरणी धारा 91 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की जाएगी ;

(ख) वह समय, जिसके भीतर विवरणी, धारा 91 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर प्रस्तुत की जाएगी ;

(ग) वह प्ररूप, जिसमें धारा 100 या धारा 101 के अधीन अपील फाइल की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें वे सत्यापित की जा सकेंगी ;

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो इस अध्याय द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(2) इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा/रखी जाएगी और यदि, पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात्, वह नियम या अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी या निष्प्रभाव हो जाएगा/हो जाएगी, तथापि, ऐसे उपांतरण या निष्प्रभाव होने से उस नियम या अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

105. (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

5

10

15

20

अध्याय 8

25

प्रकीर्ण

1873 के अधिनियम
5 का संशोधन ।

106. सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 3 में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

‘(ख) “सरकारी बचत बैंक” से,—

(i) कोई डाकघर बचत बैंक ; या

(ii) कोई बैंककारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी या संस्था, जिसे केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र 30 में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,

अभिप्रेत है ;

(खख) “सचिव” से,—

(i) किसी डाकघर बचत बैंक की दशा में, उस क्षेत्र के लिए, जिसमें डाकघर बचत बैंक स्थित है, नियुक्त महा डाकपाल या सरकार का ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जिसे केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ; और 35

(ii) किसी बैंककारी कंपनी या अन्य कंपनी या संस्था की दशा में, सरकार का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

अभिप्रेत है ;’।

1899 के अधिनियम
2 का संशोधन ।

107. भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 में,—

(i) धारा 2 के खंड (25) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 40

‘(26) “स्टॉप” से कोई चिह्न, मुद्रा या राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजनों के लिए कोई आसंजक या छापित स्टॉप भी है ।’;

(ii) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, “निगम निकाय द्वारा” शब्दों के पश्चात्, “बीमा की पालिसियों और” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 45

(iii) अनुसूची 1 के अनुच्छेद 53 के पहले स्तंभ में, “पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन।

108. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 में,—

1956 का 74

(क) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई भी कर किसी व्यौहारी द्वारा, ऐसे व्यौहारी द्वारा किए गए किसी ऐसे माल के विक्रय की बाबत संदेय नहीं होगा, जो अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में, किसी 50 रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को, किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित किसी एकक की स्थापना, प्रचालन, अनुस्क्षण, विनिर्माण, व्यापार,

उत्पादन, प्रसंस्करण, समंजन, मरम्मत, पुनः अनुकूलन, पुनः इंजीनियरी, पैकेजिंग के प्रयोग के लिए या पैकिंग सामग्री या पैकिंग उपसाधनों के रूप में उपयोग के लिए या विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए हो, यदि ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसा एकक स्थापित करने या ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।”

- 5 (ख) उपधारा (8) में, “उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को” शब्दों, कोष्ठक और अंक से प्रारंभ होने वाले और “एक घोषणा नहीं दे देता है।” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“उपधारा (4) के अधीन विहित प्राधिकारी को, उपधारा (6) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त किए गए विहित प्ररूप पर विहित रीति में, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, जिसे ऐसा माल विक्रय किया गया है, सम्यकतः भरी गई और हस्ताक्षरित एक घोषणा नहीं दे देता है।”

1956 का 74
2001 का 41
2003 का 32

- 10 **109.** केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अध्याय 6 में, केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित किए जाने के लिए यथानिर्देशित और जैसा वह वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित है, केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम के प्रारंभ से,—

अध्याय 6 का संशोधन।

(क) धारा 19 की उपधारा (1) में, “धारा 6क या धारा 9” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 9 के साथ पठित धारा 6क” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

- 15 (ख) धारा 20 की उपधारा (1) में, “धारा 6क या धारा 9” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 9 के साथ पठित धारा 6क” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 21 की उपधारा (3) के पहले परंतुक में, “राज्य सरकार” शब्दों के स्थान पर, “प्रत्येक राज्य सरकार” शब्द रखे जाएंगे;

(घ) धारा 22 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

- 20 “(1क) प्राधिकरण, उस निर्धारण प्राधिकारी के, जिसके विरुद्ध उसके समक्ष अपील फाइल की गई है, आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकेगा या अपील को ग्रहण करने से पूर्व कर के पूर्व निक्षेप का आदेश दे सकेगा और यदि निर्धारिती ने संबंधित राज्य की साधारण विक्रय-कर विधियों के अधीन कर का पूर्व निक्षेप पहले ही कर दिया है तो प्राधिकरण ऐसी रोक लगाते समय या कर के पूर्व निक्षेप का ऐसा आदेश करते समय उस पूर्व निक्षेप का ध्यान रखेगा।”;

(ङ) धारा 25 में “प्रत्येक अपील” शब्दों के स्थान पर, “कोई कार्यवाही” शब्द रखे जाएंगे ;

- 25 (च) धारा 26 में, “निर्धारण प्राधिकारियों” शब्दों के स्थान पर, “संबंधित प्रत्येक राज्य सरकार, निर्धारण प्राधिकारियों” शब्द रखे जाएंगे ।

110. राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 4 में, “31 मार्च, 2008” अंकों और शब्द के स्थान पर, 2004 के अधिनियम 39 की धारा 4 का संशोधन।

111. वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 2 इसके द्वारा निरसित की जाती है और यह समझा जाएगा कि यह कभी अधिनियमित नहीं की गई थी । 2004 के अधिनियम 13 की धारा 2 का निरसन।

30

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 83, खण्ड 84 के साथ पठित खण्ड 68, खण्ड 76, खण्ड 79 और खण्ड 81 के (कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर को अपवर्जित करते हुए) उपबंधों का अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभाव होंगे ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

5

प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 50,000 ₹ से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	
(2) जहां कुल आय 50,000 ₹ से अधिक है किंतु 60,000 ₹ से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 50,000 ₹ से अधिक हो जाती है;	10
(3) जहां कुल आय 60,000 ₹ से अधिक है किंतु 1,50,000 ₹ से अधिक नहीं है	1,000 ₹ धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 60,000 ₹ से अधिक हो जाती है ;	
(4) जहां कुल आय 1,50,000 ₹ से अधिक है	19,000 ₹ धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 ₹ से अधिक हो जाती है ।	15

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में से,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर को, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

20

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, आय की उस रकम, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, से अधिक आठ लाख पचास हजार रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

25

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 ₹ से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;	
(2) जहां कुल आय 10,000 ₹ से अधिक है किंतु 20,000 ₹ से अधिक नहीं है	1,000 ₹ धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 ₹ से अधिक हो जाती है ;	30
(3) जहां कुल आय 20,000 ₹ से अधिक है	3,000 ₹ धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 ₹ से अधिक हो जाती है ।	

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

35

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 35 प्रतिशत ।

40

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

45

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

50

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दर

- I. देशी कंपनी की दशा में कुल आय का 35 प्रतिशत ;
- II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—
- (i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—
- 5 (क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा
- (ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से, तकनीकी सेवाएं देने के लिए प्राप्त फीस, और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है 50 प्रतिशत ;
- 10 (ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 2

15 कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:-

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में,—	
20 (क) जहां वह व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
25 (v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर —	10 प्रतिशत ;
(अ) केंद्रीय या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं	
(vi) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
35 (अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ड में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(ई) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ए) अन्य संपूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
45 (अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(इ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
50 (उ) अन्य संपूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ।
2. कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	

	आय-कर की दर	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;	
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iv) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;	5
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,-		
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;	10
(iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है-		15
(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;	
(आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है	20 प्रतिशत ;	
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]-		20
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;	
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किंतु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;	
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है	20 प्रतिशत ;	25
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर-		
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;	30
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किंतु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;	
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है	20 प्रतिशत ;	
(vii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;	
(viii) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।	35

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में हैं ।

आय-कर पर अधिभार

आय-कर की रकम में,—

- (अ) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई हो, जिसकी— 40
- (i) प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यक्ति निकाय की दशा में चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;
- (ii) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म और स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से ; और
- (iii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, 45
- संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ;
- (आ) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई हो, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें 50

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों से कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखक या धारा 115खखक या धारा 115खखक या धारा 115खखक या धारा 115खखक] के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,-

आय-कर की दरें

- 5 (1) जहां कुल आय 50,000 ₹ से अधिक नहीं है **कुछ नहीं ;**
 (2) जहां कुल आय 50,000 ₹ से अधिक है, किंतु 60,000 ₹ से अधिक नहीं है उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 50,000 ₹ से अधिक हो जाती है ;
 (3) जहां कुल आय 60,000 ₹ से अधिक है, किंतु 1,50,000 ₹ से अधिक नहीं है 1,000 ₹ **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 60,000 ₹ से अधिक हो जाती है ;
 10 (4) जहां कुल आय 1,50,000 ₹ से अधिक है 19,000 ₹ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 ₹ से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में से,-

- 15 (i) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;
 (ii) प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, उनसे भिन्न, जो मद (i) में उल्लिखित है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;
 20 परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, से अधिक आठ लाख पचास हजार रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

आय-कर की दरें

- 25 (1) जहां कुल आय 10,000 ₹ से अधिक नहीं है कुल आय का 10 प्रतिशत ;
 (2) जहां कुल आय 10,000 ₹ से अधिक है, किंतु 20,000 ₹ से अधिक नहीं है 1,000 ₹ **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 ₹ से अधिक हो जाती है ;
 (3) जहां कुल आय 20,000 ₹ से अधिक है 3,000 ₹ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 ₹ से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,-

- 35 **आय-कर की दर**
 संपूर्ण कुल आय पर 35 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

- 40 **पैरा घ**

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,-

आय-कर की दर

- संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

- 45 प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,-

आय-कर की दरें

- 50 I. देशी कंपनी की दशा में कुल आय का 35 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,-

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,-

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए, किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,

और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

5

50 प्रतिशत ;

40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

10

भाग 4

[धारा 2(12)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

15

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपधारा के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) को छोड़कर] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

20

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

25

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

30

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंटिफ्यूज़ लेटेक्स या सिनेक्स या क्रैप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रैप) या ब्राउन क्रैप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रैप, रिमिल्ड क्रैप, स्माकड ब्लेन्केट क्रैप या फ्लेट बार्क क्रैप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

35

नियम 5—जहां निर्धारिती (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

40

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत की बाबत पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

45

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

50

(ii) 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

55

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं।

नई दिल्ली,
8 जुलाई, 2004

पी० चिदम्बरम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के

अधीन

राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 8 जुलाई, 2004 के पत्र सं० फा० 2(1)-बी०(डी०)/2004 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) के अधीन, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 8 जुलाई, 2004 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा।